आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जनवरी 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

निजीकरण के दौर में शिक्षा की डगर

कितनी दुर्गम कितनी सुगम ?

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

ISO 9001-2008 CERTIFIED

DR.M.A.PATANKAR
M.B.B.S

ISO 9001-2008 CERTIFIED

A TO Z
Diagnostic Centre

90,C.R.B.Mansion,1st Floor,Near to Our Lady of Dolour Church,Opp.Marine Lines Station (E) Mumbai-400002
Tel:022-22088263,22006524,Fax:022-22010485
Mob:9820067005/ Email:atozdc@hotmail.com

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Fazaluddin Patnankar
(Fazal)

ISO 9001-2008 CERTIFIED

ISO 9001-2008 CERTIFIED

AL-KHALEEJ
DIAGNOSTIC CENTRE

M-2 2nd Floor,Above SBI Bank,South Extension Part-2,New Delhi-110049
Tel:011-26262680,26262681&41646577,Fax:011-41646153
Mob:9810333787/ Email:alkhaleejdc@yahoo.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 07 जनवरी 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
इतनी अनभिज्ञता क्यों?
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
मुक्ति मार्ग
नुज़हत यासमीन

सौंदर्य बोध 11
सार्थक जीवन जीने का हौसला
ख़ान मुबशिशर फ़िरदौस

मुख्य स्तंभ 15
निजीकरण के दौर में, शिक्षा की डगर कितनी दुर्गम कितनी सुगम?
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
प्राथमिकता में क्यों नहीं अकादमिक श्रेष्ठता का उद्देश्य?
प्रो॰ नीलिमा गुप्ता

समाधान 19
व्यवसायीकरण: शैक्षिक मूल्यों के ख़िलाफ़
सैयद तनवीर अहमद

कविता 25
पहाड़ पर चढ़ने के लिए
पद्मजा घोरपड़े

ज्वलंत 27
दवा को उपचार की दरकार
डॉ॰ प्रदीप कुमार

समसामयिक 31
श्रद्धा हत्याकांड :
विकृति बनते 'लिव-इन' रिश्ते
तबाना नूरी

सरोकार 35
नोटबंदी : निर्णय और जवाबदेही
जितेंद्र गौतम

विशेष 38
सामाजिक गणतंत्र का सपना अधूरा
संपादन प्रभाग

विविधा 41
शानदार संदेश
नईम अलहिन्दी

कहानी 42
ठेस
फणीश्वरनाथ रेणु

करियर 46
डेयरी उद्योग में बढ़ रही है पेशेवरों की मांग
संपादन प्रभाग

आख़िरी पन्ना 48
सत्य का कोई विकल्प नहीं
वहीदुद्दीन ख़ां

मूल प्रश्न



इतनी अनभिज्ञता क्यों ?

श्रद्धा हत्याकांड के बहाने कुंठा और नफ़रत का कारोबार फिर से चरम पर है। मणिपाल के बाद अब राजस्थान के एक कॉलेज से आने वाली ख़बर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िला के एमबीआर कॉलेज में इतिहास के एक शिक्षक ने बुद्ध मत पर लेक्चर देते हुए अचानक श्रद्धा हत्याकांड पर अपनी घृणित समझ साझा करनी शुरू कर दी कि मुसलमान दया और करुणा से ख़ाली होते हैं। मुसलमानों को ये शिक्षा दी गयी है कि यदि वो एक हिंदू को मारते हैं तो ये एक हज के बराबर है और यदि दो को मारते हैं तो जन्नत पक्की है।

जब एक मुस्लिम छात्रा ने काउंटर किया तो शिक्षक महोदय का जवाब था कि क़ुरआन में इसकी शिक्षा है,उस मुस्लिम छात्रा ने और बहस करनी चाही तो उसे धमकी दी गयी, एक छात्र नेता ने लड़कों के एक समूह के साथ उसे बंधक बना कर रखा। श्रद्धा हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर इस्लामोफ़ोबिक कमेंट्स की तो बाढ़-सी आ गयी है। आधुनिक और लिबरल कहे जाने वाले लोग भी बिना सोचे समझे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्या इस क़िस्म की ये पहली घटना है? अपराध को विवेक के चश्मे से न देखकर इसे सांप्रदायिक रंग देना कुछ लोगों के हित में भले हो, लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाती। क्या नैना साहनी तंदूर कांड इससे कुछ अलग था? सुशील शर्मा ने नैना साहनी के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक मान्यता देने की जगह नैना को गोली मार दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर की बोटी-बोटी रेस्तरां के तंदूर में





शिब्ली अरसलान

डाल दी थी।

अक्टूबर 2010 में देहरादून का अनुपमा हत्याकांड अभी लोगों की याददाश्त में महफ़ूज़ है। अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने उसकी निर्मम तरीक़े से हत्या कर दी थी। सिर्फ़ इतना ही नही दरिंदगी की हदें पार करते हुए राजेश ने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीज़र में रख दिए थे। मुंबई में वर्ष 2008 में हुई नीरज ग्रोवर मर्डर केस तो आफ़ताब और श्रद्धा से ज़्यादा ख़ौफ़नाक है। नीरज ग्रोवर एक टीवी प्रोड्यूसर थे। जिनके मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी तक का दम लगाना पड़ गया। नीरज का कत्ल लव ट्राएंगल में हुआ था, जिसमें कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाइराज और नेवी ऑफिसर मैथ्यू शामिल थे।

मैथ्यू और मारिया सगाई कर चुके थे। नीरज मारिया का दोस्त था। मारिया नीरज को घर शिफ्ट करने के दौरान बुलाती है, उसी दौरान नीरज का कॉल आ जाता है, जिसमें मैथ्यू को नीरज की आवाज़ आ जाती है. तब मैथ्यू मारिया से नीरज को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो जाता है।

इसके बाद मैथ्यू कोच्ची से फ्लाइट लेकर मुंबई आता है, जिसके बाद मैथ्यू और नीरज के बीच मारिया के फ्लैट में जमकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मैथ्यू के हाथों नीरज की हत्या हो जाती है। नीरज के शव को छुपाने के लिए मैथ्यू और मारिया उसके क़रीब 300 टुकड़े करते हैं। जिसे प्लास्टिक बैग में भरकर शव के टुकड़ों को जंगल में अलग-अलग जगह पर फेंक देते है।

नव-पूंजीवाद से उपकृत देश के महानगरों में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं! इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखने समझने से ये बात मालूम होती है कि इन सारी घटनाओं में देश का पढ़ा लिखा और खाया-अघाया लिबरल मध्यवर्ग संलिप्त है, जिसके निकट सब जाइज़ है। भौतिक सुख सुविधा,मौज मस्ती और कथित 'सक्सेस' के लिए शराब और खुला व्यभिचार सब जाइज़ है। नव-पूंजीवाद का पूरा कारोबार ही 'सेक्स, सेंसेक्स और सक्सेस' की बुनियाद पर चलता है।

कितने आश्चर्य की बात है कि इतिहास का एक प्राध्यापक इस्लाम, मुसलमान और क़ुरआन पर कितनी सस्ती जानकारी परोस रहा है। क़ुरआन पर झूठी मालूमात साझा कर रहा है। हैरत इस बात पर भी होती है कि सदियों साथ रहने के बाद भी इतनी अनभिज्ञता कैसे रह जाती है? हैरत इस बात पर भी है कि कॉलेज के दूसरे शिक्षक और छात्र इन बातों पर उक्त शिक्षक का समर्थन कैसे कर पाते हैं? क्या केवल राजनीति विशेष ही इसकी ज़िम्मेदार है या संप्रदायों की संवादहीनता भी इसका दोषी है?

नवपूंजीवादी आधुनिकता ने लोगों को झूठे सब्ज़बाग़ दिखाकर और चमकीले सपने बेच कर जीवन के वास्तविक मूल्यों से बग़ावत करने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह आधुनिक बनने की होड़ में जब युवा पीढ़ी ने सच्चा प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को तिलांजलि दे दी, तो उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं कि युवक-युवतियां अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों और बंधनों से मुक्ति चाहने लगे। नतीजतन उनके संबंधों में हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं।

परिस्थितियों और संदर्भों की ईमानदारी से पड़ताल किए बिना किसी एक घटना में महज़ उर्दू नाम देखकर खीज निकालना या ज़हर की पुड़िया लेकर बैठ जाना भारत जैसे बहुलतावादी देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भला कोई धर्म और धार्मिक ग्रंथ इस प्रकार की हिंसा और अपराध की हिमायत कर सकता है? श्रद्धा का क़ातिल कुकर्मी आफ़ताब जो कि अत्यंत लिबरल विचार का है, शराब और शबाब जिसके निकट जाइज़ है, भला ऐसा व्यक्ति इस्लाम से कैसे प्रेरित है? इस्लाम तो लिव इन रिलेशनशिप और शराब का घोर विरोधी है। कितने आश्चर्य की बात है कि इतिहास का एक प्राध्यापक इस्लाम, मुसलमान और क़ुरआन पर कितनी सस्ती जानकारी परोस रहा है। क़ुरआन पर झूठी मालूमात साझा कर रहा है। हैरत इस बात पर भी होती है कि सदियों साथ रहने के बाद भी इतनी अनभिज्ञता कैसे रह जाती है? हैरत इस बात पर भी है कि कॉलेज के दूसरे शिक्षक और छात्र इन बातों पर उक्त शिक्षक का समर्थन कैसे कर पाते हैं? क्या केवल राजनीति विशेष ही इसकी ज़िम्मेदार है या संप्रदायों की संवादहीनता भी इसका दोषी है? ऐसे ढेरों मूल प्रश्न मेरे सामने खड़े हो जाते हैं।

■■



"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता
है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस: मुस्लिम)

A Well Wisher

- JAVED KHAN (HYDERABAD)
- MD OBAID SB. (HYDERABAD)

मुक्ति मार्ग

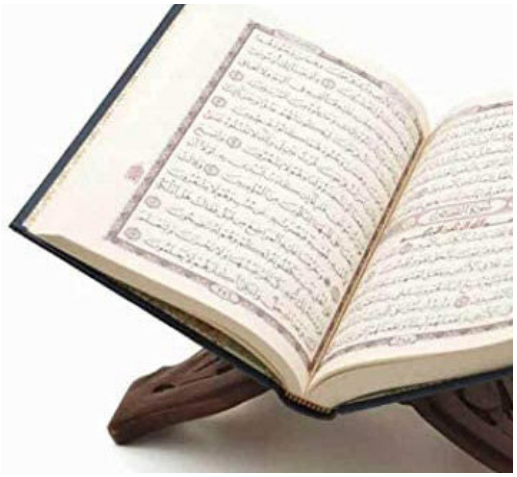

चिंतन



नुज़हत यासमीन

यह दुनिया सुन्दर, मनोरम और आकर्षक है। पर्वत, सागर, हवा, पानी, भांति-भांति के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, फल-फूल से भरी यह धरती कितना आकर्षण रखती है। इसी धरती पर ईश्वर ने इन्सान को भी बसाया है। इन्सान ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। निस्संदेह दूसरे पशु-पक्षी की तरह जीवन-यापन करने के लिए इसे भी हवा, पानी और भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है, परन्तु मानव और दूसरे सजीव में यह बड़ा अन्तर है कि मानव बुद्धि एवं विवेक रखता है। इसीलिए उसे जीवन-यापन के लिए एक ऐसी जीवनशैली की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन को व्यवस्थित करे, उसकी समस्याओं का समाधान करे और उसे वह रास्ता दिखाए जो उसकी प्रकृति की मांग है। उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जो उसे सभ्य एवं शील बनाए, उसे उस वृद्धि एवं उन्नति की आवश्यकता होती है जो उसे संतुष्टि प्रदान करे।

ईश्वर ने इन्सान के भीतर ज्ञान, विवेक और समझ की कुछ विशेषताएं जन्मजात रख दी हैं। एक नवजात शिशु जन्म लेते ही भूख से रोता है और मां की छाती से दूध पीने में निपुण होता है। निस्संदेह यह ज्ञान ईश्वर की ओर से है। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियां हैं जो मानव को सुनने, देखने, स्वाद चखने और महसूस करने में सहायता देती हैं, लेकिन यह ज्ञान तो पशुओं में भी है मगर इन्सान ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। उसकी बुद्धि और उसकी प्रकृति की मांग इससे कहीं ज़्यादा है।

मानव असीमित उन्नति चाहता है उसकी बुद्धि उसे भलाई और बुराई में एक सीमा तक अन्तर का बोध कराती है। उसके अन्दर फ़ैसला करने की क्षमता पाई जाती है। परन्तु यह जन्मजात गुण और क्षमता उसकी जीवन व्यवस्था को नियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसे एक ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो उसके गुणों को उन्नति दे, जीवन में संतुष्टि दे, इस जीवन में संमार्ग पर चलने और मृत्यु के पश्चात आने वाले जीवन में उसका सहायक बन सके।

ईश्वर ने मानव के मार्गदर्शन के लिए अपने सन्देष्टा (पैग़म्बर) भेजे। सन्देष्टाओं पर पुस्तकें अवतरित की गईं। सन्देष्टा ईश्वर के आदेशानुसार इन्सानों का मार्गदर्शन करते। उन्हें एक अल्लाह की उपासना की ओर बुलाते और बुराइयों से बचकर जीवन-यापन करने की प्रेरणा देते।

जब से मानव ने धरती पर क़दम रखा ईश्वरीय मार्गदर्शन का सिलसिला चलता रहा। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) सन्देष्टाओं के इस सिलसिले की अन्तिम कड़ी हैं। आप (सल्ल०) के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। क़ुरआन ईश्वर की ओर से अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अवतरित की जाने वाली अन्तिम पुस्तक है अब कोई और किताब ईश्वर की ओर से नहीं आएगी। क़ुरआन सुरक्षित है इसमें आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया और न क़यामत तक किया जा सकेगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं ईश्वर ने ले ली है। इस धरती पर अल्लाह ने इन्सानों पर बड़े उपकार किए हैं उन्हें बहुत-सी नेमतें दी हैं, उन नेमतों में एक अनमोल नेमत क़ुरआन है। यह इन्सानों को संमार्ग दिखाती है। जीवन का उद्देश्य बताती है। जीवन व्यवस्था को सुधारती है। अल्लाह के इस उपकार और बहुमूल्य नेमत को पाकर मानव समाज जितना भी शुक्र करे, कम है। क़ुरआन में ईश्वर का कथन है-

"लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु की ओर से उपदेश आ गया है। यह वह चीज़ है जो दिलों के रोगों को चंगा करने के लिए है और जो इसे स्वीकार कर लें उनके लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। यह अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि यह चीज़ उसने भेजी, इसपर तो लोगों को ख़ुशी मनानी चाहिए, यह उन सब चीज़ों से उत्तम है जो यह लोग समेट रहे हैं।" (क़ुरआन, 10:57-58)

क़ुरआन का दावा है कि वह तमाम इन्सानों के लिए हर काल के लिए मार्गदर्शन की किताब है और ईश्वर की ओर से है। मानव जीवन और समाज की समस्याओं का समाधान, न्याय की स्थापना, ज़ुल्म और अत्याचार की रोक-थाम, बुराइयों का अन्त, भलाई की ओर मानव समाज को अग्रसर कर नवसमाज के निर्माण का पथ-प्रदर्शन इस पुस्तक में मौजूद है। इसलिए क़ुरआन इन्सानों को निर्देश देता है कि इस मार्गदर्शन द्वारा ही जीवन-यापन का सही तरीक़ा हासिल हो सकता है। इसलिए इन्सान को चाहिए कि अल्लाह के सम्मुख स्वयं को समर्पित करे और उस मार्गदर्शन को आत्मसात कर ले जो उसकी ओर आख़िरी सन्देष्टा मुहम्मद (सल्ल०) और क़ुरआन के माध्यम से ईश्वर ने भेजी है।

ईश्वर ने इन्सान के भीतर ज्ञान, विवेक और समझ की कुछ विशेषताएं जन्मजात रख दी हैं। एक नवजात शिशु जन्म लेते ही भूख से रोता है और मां की छाती से दूध पीने में निपुण होता है। निस्संदेह यह ज्ञान ईश्वर की ओर से है। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियां हैं जो मानव को सुनने, देखने, स्वाद चखने और महसूस करने में सहायता देती हैं, लेकिन यह ज्ञान तो पशुओं में भी है मगर इन्सान ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। उसकी बुद्धि और उसकी प्रकृति की मांग इससे कहीं ज़्यादा है।

इस मार्गदर्शन से लाभान्वित होने के लिए यह ज़रूरी है कि इन्सान को इस तथ्य का ज्ञान हो कि इस संसार में उसकी क्या हैसियत है? इस जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या इस जीवन का मृत्यु के साथ ही अन्त हो जाएगा या इस जीवन के पश्चात भी एक जीवन है और यह सांसारिक जीवन एक अस्थाई यात्रा है।

निस्संदेह इन तमाम प्रश्नों के जवाब इन्सान अपनी बुद्धि से नहीं पा सकता। इन्सान कितना ही विवेकशील हो उसकी इच्छाएं उसे अपने हित की ओर प्रेरित करती हैं। वह सम्पूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। उसके जीवन के अनुभव भी मार्गदर्शक नहीं बन सकते क्योंकि इन्सान समय और काल में नए-नए अनुभवों से गुज़रता रहता है।

इस तरह, इन्सान अपनी अभिलाषा, बुद्धि, ज्ञान और अनुभवों से एक सीमा तक ही सच्चाई को पा सकता है, लेकिन ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना उसका जीवन लोक-परलोक में कभी सफल नहीं हो सकता। इन्सान ने जब भी ईश्वरीय मार्गदर्शन से मुंह मोड़ कर अपनी बुद्धि और अनुभवों से जीवन की व्यवस्था क़ायम करने की कोशिश की समस्याएं प्रबल होकर उसके सामने खड़ी हो गईं, धरती पर बिगाड़ पैदा हुआ और शोषण के द्वार खुल गए।

उदाहरणस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में ईश्वरीय मार्गदर्शन को ठुकरा कर अपनी बुद्धि से व्यवस्था चलाने वालों ने आज़ादी का मनोरम नारा देकर नारी को घरों से निकाला और धन अर्जन करने की ज़िम्मेदारी भी दे दी। उसकी मर्यादा और शील भी दांव पर लगा दी, क्योंकि उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। नारी के रूप में उसे कमतर समझा गया। समाज पुरुष प्रधान रहा और नारी को यह संदेश सुनाया गया कि यदि वह पुरुष की बराबरी चाहती है तो उसे पुरुष जैसे ही काम करने होंगे, लेकिन घर की देखभाल और बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व भी नारी की ही ज़िम्मेदारी रही।

इस तरह दोहरे दायित्व को निभाती महिला मानसिक एवं शारीरिक रूप से शोषण का शिकार होती है। इसका परिणाम टूटते-बिखरते परिवार, बच्चों

“लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु की ओर से उपदेश आ गया है। यह वह चीज़ है जो दिलों के रोगों को चंगा करने के लिए है और जो इसे स्वीकार कर लें उनके लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। यह अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि यह चीज़ उसने भेजी, इसपर तो लोगों को ख़ुशी मनानी चाहिए, यह उन सब चीज़ों से उत्तम है जो यह लोग समेट रहे हैं।”

(क़ुरआन, 10:57-58)



में मानसिक तनाव के बढ़ते मामले, बड़े-बूढ़ों का अनादर के रूप में नज़र आ रहा है। क़ुरआन ने जो पारिवारिक व्यवस्था दी है उसमें परिवार शांति एवं संतुष्टि का गहवारा है जहां पति-पत्नी भरोसे एवं पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। मां की ओर से बच्चों को तवज्जोह और ममता मिलती है तो पिता की ओर से स्नेह हासिल होता है, ऐसे में जो नस्ल उठती है वह ज़िम्मेदार होती है। ऐसी सन्तान बुढ़ापे में अपने माता-पिता का अनादर नहीं करती।

इसी तरह विरासत का मामला है। क़ुरआन निर्देश देता है कि लड़कियों को अल्लाह के आदेशानुसार विरासत दी जाए, लेकिन इन्सानों ने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। विवाह के समय बेटी को धन और सामान देकर विरासत से वंचित किया गया। इसका परिणाम हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। दहेज प्रथा एक अभिशाप बनकर खड़ी हो गई है। अच्छे घरों की सुशील लड़कियां भी मां-बाप पर बोझ बनी बैठी हैं। लोग बेटियों के जन्म से घबराते हैं। समाज में कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही हैं।

मानव असीमित उन्नति चाहता है उसकी बुद्धि उसे भलाई और बुराई में एक सीमा तक अन्तर का बोध कराती है। उसके अन्दर फ़ैसला करने की क्षमता पाई जाती है। परन्तु यह जन्मजात गुण और क्षमता उसकी जीवन व्यवस्था को नियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसे एक ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो उसके गुणों को उन्नति दे, जीवन में संतुष्टि दे, इस जीवन में संमार्ग पर चलने और मृत्यु के पश्चात आने वाले जीवन में उसका सहायक बन सके।

जबकि क़ुरआन बेटियों का संरक्षक है। उनकी हत्या को घोर अपराध कहता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने बेटियों को रहमत कहा और उनके अच्छे पालन-पोषण पर जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई है। समाज में ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं कि जब भी इन्सान ने ईश्वर के आदेशों से मुंह फेर कर अपनी बुद्धि पर भरोसा किया है धरती समस्याओं और बिगाड़ से भर गई है। क़ुरआन कहता है-

“थल और जल में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों के अपने हाथ की कमाई से।” (क़ुरआन,30:41)

निस्संदेह यह टिप्पणी बड़ी सटीक है। इन्सान की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने पालनहार की ओर पलटे, ईश्वर के आदेश को स्वीकार करे और अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग क़ुरआन और ईश्वर के अंतिम सन्देष्टा मुहम्मद (सल्ल०) के बताए रास्ते पर चलने में लगाए। यही ईश्वर का आदेश है और इसी में मानव के लोक-परलोक का कल्याण निहित है। ■■

इशान हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर

Eshan Hospital & Research Centre

डॉ. अली कौशर
Dr. Ali Kaushar
M.B.B.S. (Pat),
M.S. (RIMS) FMAS
Consultant General & Laparoscopic Surgeon

डॉ. निकहत परवीन
Dr. Nikhat Parveen
M.B.B.S., DMRD
Consultant Radiologist

प्रत्येक महीना दूसरे रविवार को नि:शुल्क परामर्श

OPEN & LAPAROSCOPIC SURGERY, CYSTOSCOPY, PCNL, URS, OBSTETRIC & GYNACOLOGY, MEDICINE, DIABITIC CARE, OPD, LABORATORY, DIAGNOSTICS & ULTRASOUND, EMERGENCY SERVICE, LASER SURGERY

पेट रोग, किडनी, मधुमेह रोग, हृदय रोग, महिला रोग एवं प्रसुती रोग

www.eshanhospital.com eshanhospital@gmail.com

पगमिल, हज़ारीबाग इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के बगल में

7295057608

7004824923

सौंदर्य बोध



ख़ान मुबश्शिरा फ़िरदौस

आख़िरी सांस तक

सार्थक जीवन जीने का हौसला

बदलते दौर में नई नस्ल से जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन ज़ेड, सुनने को मिल रहा है। ज़िंदगी में जनरेशन एक्स सुनकर बुज़ुर्गों की सेहत के साथ-साथ हौसले भी पस्त हो रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग अकेलेपन, स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इकिगाई (Ikigai) (ज़िंदगी का मक़सद) जापान में छपी एक किताब है, जिसमें जापान के एक शहर का उल्लेख है, जहां लोग 90 साल तक रिटायर नहीं होते। वहां थककर बैठ जाने की कोई कल्पना ही नहीं। वजह यह है कि लोग अपनी पसंद का काम करते हैं और करते चले जाते हैं। वहां हमारी तरह ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्सान से काम नहीं करवाया जाता, वहां पेशे से जुड़ कर थकने के दिनों की कल्पना नहीं है। अपनी जगह ख़ुद बनाने के बजाय मां-बाप की जगह लेने की कल्पना ही समाज की प्रवृत्ति में संकीर्णता का संकेत होता है। इन्सान के पास जीने की कल्पना वर्तमान को सार्थक बनाते हुए गुज़रने की हो तो ज़िंदगी जोश के साथ गुज़रती है।

बुज़ुर्ग लोग अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए नए तजुर्बे कर सकते हैं, अपनी पुरानी ख़ाहिश को जो रोज़गार की भेंट चढ़ गई थी, उन्हें बहाल कर सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि उम्र के साथ दिमाग़ भी कमज़ोर हो जाता है। हालांकि नई रिसर्च के मुताबिक़ हमारे दिमाग़ पुरानी सीखी गई चीज़ों को दुबारा जोड़ता रहता है, इसे री-वायरिंग (Rewiring) भी कहा जाता है। जिसकी वजह से इन्सान सूचनाओं को कभी भूलता नहीं है। उम्र के किसी भी हिस्से में री-वायरिंग की प्रक्रिया हो सकता है। क्या ही अच्छा हो कि हमारी नई नस्लें बुज़ुर्गों को सार्थक एवं उपयोगी होने का ख़ूब एहसास दिलाएं। हमारे बुज़ुर्ग लोग ज़िंदगी को नए तरीक़े से गुज़ारने के लिए प्रेरित हों, वे स्वास्थ्य नियमों का पालन करने वाले बन जाएं।

आम तौर पर यह जुमले सुने

जाते हैं-अब हम से काम नहीं होता, अब हमारे ज़माने गए, अब हमारे चैन से जीवन गुज़ारने के दिन हैं। ये जुमले निराशाजनक हैं। बुज़ुर्गों को घरों के किनारे करके छोड़ न दिया जाए, बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे को सार्थक एवं उपयोगी बनाने की कोशिश की जाए। बुज़ुर्ग लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य का संबंध सोच से होता है, सोच सकारात्मक हो तो विचार भी अच्छे आते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

यह हमारे रब का एहसान है कि इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में ही मां-बाप के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसका असर यह है कि आज भी बहुत कम हमारे बुज़ुर्ग ओल्ड एज होम में नज़र आते हैं। कुछ समय पहले बारह शहरों में ओल्ड एज होम का सर्वे करवाया गया, तो केवल पांच मुस्लिम फैमिली के बुज़ुर्ग वहां मिले, वो भी ऐसे थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी, किसी के पास बेटा नहीं केवल दो बेटियां थीं और दो की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारे समाज में बुज़ुर्ग मां-बाप को ओल्ड एज होम में भेजने का रुझान नहीं है। नौजवान नस्ल का रवैया बुज़ुर्गों के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए और बुज़ुर्गों को पूरे जोश के साथ उम्र की आख़िरी सांस तक अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

इस संबंध में हमें इस्लामी दुनिया में बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। एक मिसाल तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) की है। अपनी उम्र के आख़िरी हिस्से में बसरा चली गईं और ज्ञान और शिक्षण के कार्यों को अंजाम देती रहीं। लोग उनसे इस्लाम की शिक्षाएं हासिल करते। वे अपनी उम्र के आख़िरी हिस्से तक इस कार्य को अंजाम देती रहीं।

आज भी दुनिया में बुज़ुर्गों के सक्रिय एवं सार्थक जीवन की मिसालें हमारे सामने हैं। मलेशिया के राष्ट्रपति मुआसिर मुहम्मद 90 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और अब भी पूरी तरह सक्रिय हैं, न थकन का एहसास, न आराम की ख़ाहिश। हमास के लीडर शेख़ अहमद यासीन को हमने उनके मिशन में उनकी अधिक उम्र को रुकावट बनते नहीं देखा। जापान की सम्मानित पेंटर 95 साल की उम्र में पूरी ताक़त के साथ आज भी नए तर्ज़ की पेंटिंग करती हैं। आप हमारे देश की उर्मीला नामक 90 साल की महिला को राजस्थानी फ़ूड चैनल पर 'मां रेसिपी' के नाम से खाना पकाना सिखाते हुए पाएंगे। सिंधी बिरादरी के बुज़ुर्ग अपनी दुकानों पर पूरी मुस्तैदी से कैश काउंटर की निगरानी करते हैं। इन मिसालों को सामने रखें तो हमारे पास भी निराशाजनक जुमलों के विपरीत जोश से भरे और नए सपने बुनने वाले जुमलों की सूची बनती है।



बुज़ुर्ग कहें कि बेटा हमारे पास अपने प्रोजेक्ट हैं, हम अपने इन सपनों को अब साकार करेंगे जिन्हें जवानी में साकार करने की फ़ुरसत नहीं मिली। इन बुज़ुर्गों से हम भी कहें कि नन्हे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। यह सोच बदलनी होगी कि काम न करना आराम है, बल्कि आराम ही तो बीमारियां लाता है।

बुज़ुर्गों के प्रोजेक्ट ये हो सकते हैं-

(1) मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों के बीच रहने से मन बच्चों जैसा रहता है और स्वस्थ दोस्तों के साथ अच्छा महसूस करता है। मोबाइल पकड़ती नस्लों को उंगली पकड़ कर मस्जिद ले जाते हुए दादाजान की सख़्त ज़रूरत है। वो दादा मुहल्ले के दादा बन जाएं और मुहल्ले के यतीम बच्चे भी उनसे कुछ स्नेह पा लें।

(2) इंग्लिश स्कूलों के बच्चे इंतिज़ार कर रहे हैं कि कोई दादा या दादी उन्हें मात्र भाषा सिखा दें।

(3) कमज़ोर पड़ते रिश्तों को देखते हुए प्री मैरेज और पोस्ट मैरेज काउंसिलिंग के ज़रिये ज़िंदगी के प्रति गंभीरता सिखाने के लिए बुज़ुर्गों की बहुत ज़रूरत है।

(4) वे बुज़ुर्ग जो किसी भाषा को पढ़ाते हुए बुज़ुर्ग हुए हैं, अख़बारों और पत्रिकाओं में उनकी बहुत ज़रूरत है कि वे प्रूफ़ रीडिंग करें। प्रूफ़ रीडर्स की कमी भाषा का स्तर गिराती जा रही है।

(5) स्कूल कॉलेज के गेट पर निगरानी के लिए भी बुज़ुर्गों की ज़रूरत है।

(6) औरतें नमाज़ के लिए मस्जिद आने लगें तो वहां भी बुज़ुर्ग औरतों का ग्रुप बन सकता है।

(7) बुज़ुर्ग मर्द और औरतें मस्जिदों में मक्तब चलाएं, मुहल्ले के बच्चे उनके पास दीन सीखने आएं तो माहौल बदल सकता है।

(8) रास्तों की ख़ाली जगहों पर कॉरपोरेशन से बात करके बुज़ुर्ग पौधों की देख-भाल करवा सकते हैं।

(9) रिश्ता जोड़ने के काम भी हमारे बुज़ुर्ग मर्द और औरतें बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं।

(10) रिटायर्ड इंजीनियरों से मैथ और फ़िज़िक्स पर एक्सटेंशन लैक्चर रखा जा सकता है।

(12) बच्चों को (Best out of waste) बेकार चीज़ों से काम की चीज़े बनाने के प्रोजेक्ट मिलते हैं। हमारे बुज़ुर्ग इसमें बच्चों की मदद कर सकते हैं।



(13) बुज़ुर्ग लोगों की महफ़िलों में सेहत, ग़िज़ा, समाज, सियासत, तालीम, हुकूमत पहले और अब, पर सेमिनार हो सकते हैं। सीनियर सिटीज़न स्कीम, बेवा बुज़ुर्ग ख़ातून को मिलने वाला फ़ंड, कैंसर के ईलाज पर मिलने वाली सरकारी सहूलत पर बात हो सकती है। इससे जानकारी में इज़ाफ़ा होता है, लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग होते हैं। उक्त सभी बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि बुज़ुर्गों के प्रति उदासीनता न बरती जाए। उन्हें नए सपने दिखाए जाएं। नए प्रोजेक्ट उनके सामने रखे जाएं। वे ख़ुद भी अपनी मौत के इंतेज़ार करने के बजाय अपनी आख़िरी सांस तक काम करने पर फ़ोकस करें। ■■

“दो आंखें ऐसी हैं
जिनको नरक की आग नहीं छू सकती—
एक वह आंख
जो ईश्वर के भय से रो पड़ती हो और
दूसरी वह आंख
जिसने ईश्वर के मार्ग में पहरा
देते हुए रात व्यतीत की हो।”

(हदीस: तिरमिज़ी)



A Well Wisher

- Md. Shabbir (Hyderabad)
- Md. Tahir (Hyderabad)
- Md. Tahir Zafar (Jharkhand)

निजीकरण के दौर में शिक्षा की डगर

कितनी दुर्गम कितनी सुगम ?

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीते माह शिक्षा से जुड़े अपने एक अहम फ़ैसले में इस बात पर ज़ोर दिया कि निजी शिक्षा प्रणाली एवं शैक्षिक संस्थानों के ज़रिये 'मुनाफ़ाख़ोरी' की बढ़ती प्रवृत्ति शिक्षा की सेहत के लिए हानिकारक है। हालांकि यह फ़ैसला आंध्र प्रदेश तक सीमित है फिर भी देश की कुल शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर दुकानदारी करने वाले मुनाफ़ाख़ोरों पर यह फ़ैसला दूरगामी असर डालने वाला है।

दरअस्ल, आंध्र प्रदेश सरकार ने अचानक एक फ़रमान जारी करके राज्य की मेडिकल शिक्षा लगभग सात गुना महंगी कर दी। सरकार के इस फ़ैसले में निजी मेडिकल कॉलेजों को 24 लाख रुपये तक फ़ीस बढ़ाने की छूट थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राज्य सरकार के पीड़ादायक फ़ीस वृद्धि के फ़ैसले को रद्द किया, बल्कि चुनौती याचिका दायर करने वाले शिक्षण संस्थान और आंध्र सरकार पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सर्वोच्च न्यायालय का यह ताज़ा फ़ैसला शिक्षण संस्थानों की दुकान खोलकर विद्यार्थियों में 'ग्राहक' खोजने वाले बाज़ारू संस्थानों और मुनाफ़ाख़ोरों के लिए एक करारा झटका है। इस फ़ैसले में शिक्षा के स्वरूप और उद्देश्य से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। यह पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक दिशा-निर्देश का काम कर सकता है।



दरअस्ल, हमारे देश में शिक्षा को पारंपरिक रूप से एक पवित्र दर्जा प्राप्त रहा है। आम धारणा यह थी कि शिक्षा कोई कारोबार नहीं, बल्कि एक मिशन और राज्य की जवाबदेही है। आज़ादी के बाद एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह हर नागरिक को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन इस स्तर पर वह बुरी तरह फेल हुई। नतीजा यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक धीरे-धीरे करके निजी हाथों में आ गई।

समय के साथ देश में सामाजिक बदलाव के साथ कुछ परंपरागत मान्यताएं

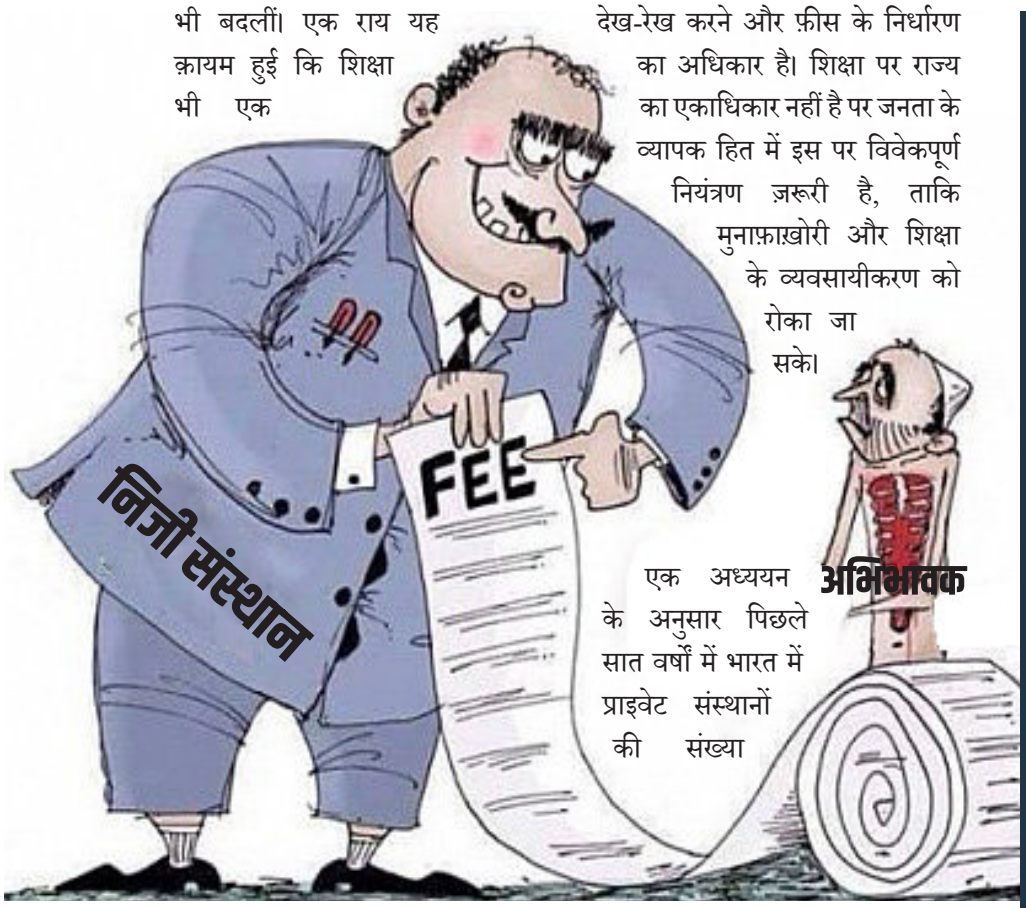

भी बदलीं। एक राय यह क़ायम हुई कि शिक्षा भी एक तरह का कारोबार ही है, और शिक्षक कोई देवता नहीं, वह पैसे लेता है और शिक्षा देता है। जितने ज़्यादा पैसे, उतनी बेहतर शिक्षा। निजी संस्थानों ने इसी को अपना सूत्रवाक्य बना लिया। उनका तर्क है कि उन पर बेहतर गुणवत्ता का दबाव रहता है, इसलिए उन्हें अपने संसाधनों पर काफ़ी ख़र्च करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें फ़ीस बढ़ानी पड़ती है। जबकि ऐसे संस्थानों पर आरोप है कि वे सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए अनाप-शनाप फ़ीस वसूलते हैं।

वर्ष 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े अपने एक फ़ैसले में कहा था कि यह कोई कारोबार नहीं है। इसलिए राज्य को बिना सरकारी सहायता के चलने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में भी दाख़िले की प्रक्रिया की देख-रेख करने और फ़ीस के निर्धारण का अधिकार है। शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार नहीं है पर जनता के व्यापक हित में इस पर विवेकपूर्ण नियंत्रण ज़रूरी है, ताकि मुनाफ़ाख़ोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोका जा सके।

एक अध्ययन के अनुसार पिछले सात वर्षों में भारत में प्राइवेट संस्थानों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि भारी फ़ीस लेने के बावजूद, वे संस्थान अव्वल दर्जे की शिक्षा, प्लेसमेंट और अन्य सुविधाएं देने में विफल रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों के तेज़ी से फलने-फूलने और छात्रों की बढ़ती संख्या के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि मोटी फ़ीस वसूलने वाले इन संस्थानों में 'गुणवत्ता' अक्सर एक मुद्दा बनी रहती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की संख्या में पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। वर्ष 2015 में इनकी संख्या 225 थी, जो अगस्त 2022 में लगभग

समय के साथ देश में सामाजिक बदलाव के साथ कुछ परंपरागत मान्यताएं भी बदलीं। एक राय यह क़ायम हुई कि शिक्षा भी एक तरह का कारोबार ही है, और शिक्षक कोई देवता नहीं। वह पैसे लेता है और शिक्षा देता है। जितने ज़्यादा पैसे, उतनी बेहतर शिक्षा। निजी संस्थानों ने इसी को अपना सूत्रवाक्य बना लिया। उनका तर्क है कि उन पर बेहतर गुणवत्ता की अपेक्षा का दबाव रहता है, इसलिए उन्हें अपने संसाधनों पर काफ़ी ख़र्च करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें फीस बढ़ानी पड़ती है। जबकि ऐसे संस्थानों पर आरोप है कि वे सिर्फ मुनाफ़े के लिए अनाप-शनाप फ़ीस वसूलते हैं।

दोगुनी होकर 431 हो गई। यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल ही अकेले 68 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। जर्नल ऑफ़ हायर एजुकेशन पॉलिसी एंड लीडरशिप स्टडीज में प्रकाशित वर्ष 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय की भारत के कुल उच्च शिक्षण संस्थानों में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से ज़्यादा है।

केंद्र सरकार के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011-12 में सिर्फ़ 2.7 लाख छात्रों ने निजी कॉलेजों में दाख़िला लिया था, जो 2019-20 में बढ़कर 12.76 लाख हो गया। यह 372 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। इसके विपरीत, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2011-12 में नामांकित छात्रों की संख्या 24.47 थी। सिर्फ़ 5.35 प्रतिशत के मामूली से उछाल के साथ यह संख्या 2019-20 में बढ़कर 25.78 लाख हो गई। शिक्षा प्रणाली में उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाने के बाद से शिक्षा का व्यापार शुरू हो गया। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को मुनाफ़ाख़ोरी का रोग लग गया।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपने ताज़ा फ़ैसले के दौरान कहा, 'ट्यूशन फ़ीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना, यानी पहले से तयशुदा फ़ीस से सात गुना अधिक करना सिरे से अनुचित है। फ़ीस इतनी होनी चाहिए जिसे लोग चुका सकें।'

जानकारों द्वारा लंबे समय से निजी एवं सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में मौजूद असंतुलन को दूर किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता रहा है। शिक्षा के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना कोई ग़लत बात नहीं है, लेकिन शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता को सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने की गतिविधि की तरह न देखा जाए। कोई कारोबार समाज के व्यापक हित से ऊपर नहीं हो सकता। यदि कोई संस्थान ऐसा करते दिखे तो उसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

अदालत का कहना है कि फ़ीस का निर्धारण या समीक्षा करते समय पेशेवर संस्थान का स्थान, पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति, उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत जैसे कारकों पर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

उच्च शिक्षण संस्थानों, चाहे वे इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल शिक्षा के हों या प्रबंधन जैसे कोर्स संचालित करते हों, में अनुचित फ़ीस और कोचिंग संस्थानों में बेतहाशा फ़ीस वसूले जाने से उच्च शिक्षा ख़ासकर विशेषज्ञता संबंधी शिक्षण बहुत महंगा हो गया है। ऐसे कोर्सों की पढ़ाई हाल के वर्षों में आम परिवार तो दूर मध्यम आय परिवारों से आने वाले छात्रों की पहुंच से भी बाहर हो चुकी है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में यह सवाल शुरू से ही विमर्श के केंद्र में रहा है कि ऐसी कौन-सी शिक्षा-व्यवस्था हो, जो वर्गीय विभेदों को चिह्नित करने का दृष्टिकोण देते हुए उन्हें मिटा न पाने की अवस्था में कम से कम उन्हें भोथरा करने का सजग प्रयास तो करे। यह सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वसुलभ कैसे बनाया जाए? नए आर्थिक उदारवाद के सघन संक्रमण और राजनीतिक अर्थशास्त्र की इच्छाशक्ति की कमी के बाद सबसे ज़्यादा संकट हाशिये के लोगों की शिक्षा पर ही आ रहा है।

वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का अधिनियम एवं शुल्क का निर्धारण) क़ानून पास किया था, जिसे निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2016 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह बीमा, बिजली और टेलिकॉम जैसे क्षेत्रों में नियामक निकाय काम कर रहे हैं, उसी तरह शिक्षा के लिए भी नियामक निकायों की ज़रूरत है।

अपने ताज़ा फ़ैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर ज़ोर दिया है कि ट्यूशन फ़ीस सस्ती होनी चाहिए। शीर्ष अदालत का फ़ैसला स्वागत योग्य है। अब केंद्र और हर राज्य की सरकारों को भी चाहिए कि वे इस समस्या का कोई सर्वमान्य हल निकालें।

■■

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

एक नज़र में

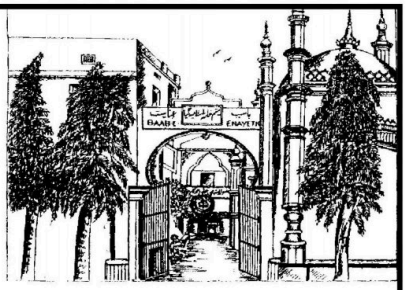

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह

● सालह ख़िदमात ● बहुत सारे शोबाजात तालीमी मराहिल दर्जा अतफ़ाल ता मैट्रिक (Matric) शोबा हिफ़्ज़-ओ-नाजरह हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक बिहार स्कूल बोर्ड एक्ज़ामिनेशन हर साल का सद फ़ीसद 100% रिजल्ट ● फासलाती (Distance Education) I.A, B.A, M.A. और लाइब्रेरी साइंस (Blis) में 2022-23 के सेशन के लिए दाख़िला जारी (स्टडी सेन्टर यतीमख़ाना गया) मंज़ूरशुदा : मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ● कम्प्यूटर (Computer) की भी तालीम कफाला स्कीम के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च बीस हज़ार (Rs. 20,000) रुपये 70 यतीम तलबा जिनका सारा ख़र्च इदारा ही बर्दाश्त करता है। सालाना ख़र्च 25 लाख रुपये से ज़ायद ज़रिया-ए-आमदनी मुस्लिम अवाम के चन्दे ● आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज्र अज़ीम हासिल करें। तआवुन की शक्लें मसलन ● ज़कात ● अतियात ● सदक़ात ● पैदावार की ज़कात ● चिर्म-ए-क़ुरबानी ● एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च ● बैंक (Bank) के सूद (Interest) की वह रक़म जो मुसलमानों के लिए हराम है। ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वग़ैरह।

तीन बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो बैंक से सूद (Interest) के तौर पर मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम तलबा की जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यहां हर साल (Audit) भी कराया जाता है। ❸ आप इदारा में पहुंचकर मसावात का मिसाली और अमली नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस तरह यतीम और ग़ैर-यतीम बच्चे मिलकर रहा करते हैं।

नोट : इनायत आई.टी.आई. (Enayeth I.T.I.) की दुमंज़िला इमारत खड़ी हो गई है और दाख़िला जुलाई 2018 ई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade) से ही शुरू है। दूसरा ट्रेड फीटर (Fitter) का है। दोनों में दाख़िला 2022-2024 के लिए जारी है। यह N.C.V.T. (भारत सरकार) से मंज़ूरशुदा है। ❷ पुरफ़िज़ा मक़ाम, पुरसुकून माहौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम। ❸ यतीम तलबा जिनके वालिद का इन्तिक़ाल हो चुका है उनके क़याम-ओ-तआम के साथ-साथ एक बेटे की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। ❹ बैरूनी तलबा के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल का भी नज्म है। ❺ क़ौम के मुअज़्ज़िज़ हज़रात से गुज़ारिश है कि क़ौम के यतीम बच्चों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए ज़हमत करें और तवज्जोह दिलाएं। ❻ इनायत आई.टी.आई. (I.T.I.) में यतीमख़ाना में पढ़ने वाले यतीम तलबा का दाख़िला, तालीम मअ-तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

इदारा आप से फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह क़दीम इदारा माली बुहरान में मुबतला है। दुश्वारियों का सामना है। आमदनी घट कर कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : "The Gaya Muslim Orphanage"
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Orphanage"

बराए राबता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)
Hon. Secretary, The Gaya Muslim Orphanage
Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India

Indian Donors : भारतीय चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Orphanage
Bank A/c No. : 300402010010581
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)
IFS Code No. : UBIN0530042

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

Mobile : 09801213022, 09955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in / Website : www.gmogaya.in

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

एज़ाज़ी नाज़िम डॉ. ज़ेड. एच. ख़ान सदर डॉ. फ़रासत हुसैन

अभिमत



प्रो. नीलिमा गुप्ता

प्राथमिकता में क्यों नहीं

अकादमिक श्रेष्ठता का उद्देश्य?

भारत की मौजूदा उच्च शिक्षा प्रणाली से प्रतिवर्ष लगभग 3.7 करोड़ विद्यार्थी डिग्री लेकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के सोपानक्रम से स्वयं को जोड़ने का संकल्प लेते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हमारे उपाधिधारक अकादमिक रूप से समृद्ध होने के साथ-साथ समाज के योग्य नागरिक बनने और समकालीन युग की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं?

निश्चित रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली उस स्तर की होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र के साथ-साथ समाज का भी चौतरफ़ा व समुचित विकास हो सके। शिक्षा का लक्ष्य अंततः एक ऐसे उन्मुक्त और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति का निर्माण करना होता है जो सभी विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। ऐसे में निःसंदेह किसी राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता ही उसके राष्ट्रीय विकास के स्तर का आईना है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र के विकास-विस्तार में हमारे विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के पास वर्तमान में विकास, गुणवत्ता और समान पहुंच जैसे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का दबाव है।

भारतवर्ष एक युवा राष्ट्र है जहां की युवा आबादी उत्कृष्टता की ओर सदा उन्मुख रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में, पश्चिम के अधिकांश और जापान व चीन जैसे देशों की तुलना में अतिरिक्त 2 प्रतिशत अधिक है। यह महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय क्षमता निश्चित ही भारत को एक अभूतपूर्व बढ़त प्रदान करती है। 2030 तक भारत के दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र होने की संभावना है, जिसमें लगभग 14 करोड़ लोग उच्च शिक्षा संस्थान के पोर्टल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। ग़ौरतलब है कि दुनिया में हर चार स्नातकों में से एक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का उत्पाद होगा। नवीनतम ज्ञानात्मक कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया

रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 54 प्रतिशत कर्मचारियों को अपने कौशलों को परिवर्धित करने और नये सिरे से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉरपोरेट क्षेत्र में 'उद्यमिता' पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अधिकांश छात्र 'बेहतर नौकरियां और उच्च वेतनमान' चाहते ज़रूर हैं, परंतु 'उद्यमिता' में शामिल अनिश्चितताओं के साथ संघर्ष करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। शैक्षिक संस्थान उद्यमिता अनुकूल तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज शैक्षिक संस्थान उद्यमियों के विकास में मुख्य कारक की भूमिका निभाते हुए पूरे देश के लिए अधिक रोज़गार व धन का उत्पादन कराने में सक्षम हैं। अब हमारे पास बड़ी संख्या में कुशल शिक्षक और टेक्नोक्रेट उपलब्ध हैं।

नोबेल पुरस्कार के विजेता पॉल क्रुगमैन ने भारत में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि 'जापान अब एक महाशक्ति नहीं रह गया है, क्योंकि इसकी कामकाजी उम्र ढल गई है और चीन का भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में पूरे एशिया में भारत नेतृत्व कर सकता है, लेकिन तब जब वह सेवा प्रदाता क्षेत्रों के साथ-साथ अपने विनिर्माण क्षेत्र को भी विकसित करे।'

प्रासंगिक बने रहने के लिए तथा भविष्य में क़दम रखने के लिए निरन्तर सीखते रहने की भावना छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे उनका करियर भी परिभाषित होता है। सशक्त नेतृत्व कौशल से हर मौजूदा स्थिति का सामना किया जा सकता है, इससे नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि नेतृत्व किसी धारित पद में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के चरित्र व व्यवहार के सम्पादन में ही अंतनिहित होता है।

अब हम अपने इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जब हमारी शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन के साथ ख़ुद को एक नये सांचे में ढाल रही है। यह समय सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनौतियां बड़ी हैं और दांव ऊंचे हैं। दुनिया के अनेकानेक हिस्से संघर्ष और उथल-पुथल की एक अजीब स्थिति में

प्रासंगिक बने रहने के लिए तथा भविष्य में कदम रखने के लिए निरन्तर सीखते रहने की भावना छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे उनका कॅरियर भी परिभाषित होता है। सशक्त नेतृत्व कौशल से हर मौजूदा स्थिति का सामना किया जा सकता है, इससे नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि नेतृत्व किसी धारित पद में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के चरित्र व व्यवहार के सम्पादन में ही अंतनिहित होता है।

हैं। छात्र-छात्राएं भी परिवर्तन के बहुमुखी दौर से गुज़र रहे हैं; उन्हें अच्छे मूल्यों और गुणों को आत्मसात करके हर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उपाधिधारक छात्रों को शिक्षा जगत की सबसे मूल्यवान डिग्रियों में से एक विशिष्ट डिग्री लेकर दुनिया के सामने आना चाहिए।

यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि केवल एक शिक्षित देश ही एक विकसित देश बनने की आकांक्षा रख सकता है। ऐसे में हमें उच्च शिक्षा संस्थान के मामले में विश्वस्तरीय संस्थान तैयार करने के साथ-साथ उनकी संख्या में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। नवोन्मेषी मानसिकता युक्त उच्च शिक्षा ही हमारे समाज व समुदाय दोनों को आगे ले जाने वाली कुंजी है। इसके लिए व्यापक सार्वजनिक और निजी भागीदारी की आवश्यकता है। वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था के चलते उच्च शिक्षा संस्थानों की वास्तविक संख्या निर्धारित करना कठिन हो गया है। जैसे-जैसे उपाधिधारक छात्र व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के एक नये मोड़ में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने सभी निर्णय स्वयं लेने होते हैं।

छात्रों को एक गंभीर और प्रतिबद्ध टीम के खिलाड़ी की भांति अपनी टीम के साथ सकारात्मक भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्हें कार्य-परिवर्त्य सपनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनमें जोखिम लेने का साहस होना चाहिए और असफलता की स्थिति में हताश नहीं होना चाहिए। एक छात्र जो शिक्षित एवं उपाधिधारक है, उसे एक सभ्य समाज का सच्चा नागरिक होना भी आवश्यक है। छात्रों को शिक्षित होकर वास्तविक दुनिया में क़दम रखने का अर्थ है अकादमिक श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण एक सभ्य भारतीय सामाजिक नागरिक बनना, जो जीवन में हर प्रकार से सफल हो सके। ■■

समाधान



सैयद तनवीर अहमद

व्यवसायीकरण

शैक्षिक मूल्यों के ख़िलाफ़

समाज पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के दुष्परिणमों को समझने के लिए पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण में अंतर है। शिक्षा पर सार्वजनिक धन ख़र्च करने के प्रति सरकार के रवैये को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक शिक्षा के निजीकरण को समझा जा सकता है, लेकिन, शिक्षा के व्यवसायीकरण का तो कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ, लाभ को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ स्कूल खोलना या कॉर्पोरेट कंपनियों के रूप में काम करते हुए शिक्षा प्रदान करना है।



शिक्षा में यह कॉर्पोरेट कल्चर अब भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान खोले गए सभी प्री-स्कूलों में से लगभग 99 प्रतिशत विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्यम हैं। कई शिक्षाविदों ने इन्हें "एजुकेशन शॉप या शिक्षा की दुकान" की संज्ञा दी है।

शिक्षा का व्यवसायीकरण न सिर्फ़ शिक्षा के मूल्यों और शिक्षण की भावना के ख़िलाफ़ है, बल्कि यह तो भारत के संविधान के भी ख़िलाफ़ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुनियादी तौर पर राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था। हालांकि, बाद में यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा बन

गया। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14 के अनुसार, "14 वर्ष की आयु तक मुफ़्त शिक्षा देना सरकार की ज़िम्मेदारी है।" आरटीई में इसी बात पर ज़ोर दिया गया है, जो कि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इस प्रकार इस क़ानून के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण इस एक्ट का विरोधाभासी है या कह सकते हैं कि आरटीई की मूल भावना का उल्लंघन करता है।

भारतीय समाज की सामाजिक स्थिति और आय के वितरण के मामले बहुत ही असमान है।

इसलिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण इस असमानता को और बढ़ा देगा और हाशिये पर ज़िंदगी गुज़ारने वालों लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा बनेगा। ऐसी स्थिति में सामाजिक बराबरी या सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता जहां समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाए।

इसके अलावा शिक्षा का व्यवसायीकरण विभिन्न मानकों और शिक्षा संस्थानों की श्रेणियों के रूप में शिक्षा प्रणाली में कई परतें पैदा करेगा। दुर्भाग्यवश ये परतें सार्वजनिक वित्त पोषित स्कूलों में भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय विद्यालय व उच्च शैक्षणिक मानकों वाले स्कूल और राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल, सभी के पास शिक्षा, अकादमिक उत्कृष्टता और उपलब्धि के अलग-अलग मानक हैं। इसके अलावा पहले इनमें से कई स्कूल एकल शिक्षकों के साथ चलाए जाते रहे हैं। सार्वजनिक वित्त पोषित स्कूलों में इस तरह का वर्गीकरण मौजूद है। हालांकि, निजी स्कूलों में और भी परतें देखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर फैशनेबल स्कूल समाज के संपन्न वर्ग की ज़रूरत को पूरा करते हैं, इसलिए व्यवसायीकरण ने शिक्षा प्रणाली को अलग-अलग वर्गों में बांटने का काम किया है।



शिक्षा का व्यवसायीकरण विभिन्न मानकों और शिक्षा संस्थानों की श्रेणियों के रूप में शिक्षा प्रणाली में कई परतें पैदा करेगा। दुर्भाग्यवश ये परतें सार्वजनिक वित्त पोषित स्कूलों में भी मौजूद हैं।

बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जबकि जिन छात्रों की अच्छे स्कूलों तक पहुंच नहीं है, उन्हें एकेडमिक डेवलपमेंट हासिल करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह असमानता एक दुष्चक्र पैदा करती है। यदि 10 प्रतिशत संपन्न वर्ग को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, तो उस समूह के बच्चों को ही अच्छी शिक्षा का लाभ भी मिलेगा।

समाज में बराबरी लाने के लिए हमें सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यह स्थिति कई विकसित देशों में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में हमारी सरकार सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान नहीं कर रही है।

शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के भी खिलाफ है। हमारे संविधान की भावना और विभिन्न शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट और सुझावों का सार यह है कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए। विभिन्न आयोगों ने इसे लागू करने की समय सीमा भी दी, लेकिन हमारे देश में शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभी भी एक सपना ही है। अभी भी अलग अलग तरह के स्कूल मौजूद हैं।



उच्च वर्ग और क्रीमी लेयर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा मानकों और सुविधाओं से सम्पन्न एलीट स्कूलों में भेजते हैं। इसके विपरीत, निम्न मध्यम वर्ग और ग़रीब उन एलीट स्कूलों की बेतहाशा महंगी फीस से डरते हैं। इसलिए, वे इन स्कूलों को वहन नहीं कर सकते हैं और अपने बच्चों को निम्न मानकों और कम सुविधाओं वाले स्कूलों में भेजते हैं। इस प्रकार, शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त नहीं किया जाता है।

माता-पिता की आय के आधार पर समाज में स्कूलों के विभिन्न प्रकार मौजूद हैं। उसके अनुसार ही, बच्चे निजी स्कूलों या व्यावसायिक स्कूलों में जाते हैं। इसलिए, ये व्यवसायिक स्कूल समाज में वर्ग विभाजन को मज़बूत कर रहे हैं।

ये वर्ग व्यवस्था के साथ-साथ जाति व्यवस्था को भी मज़बूत कर रहे हैं। क्योंकि उच्च जाति के छात्रों के पास बुनियादी और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर होते हैं, वे उच्च मानकों वाले स्कूलों में जाते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों और अल्पसंख्यकों के छात्र ऐसे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उन्हें कम सुविधाओं वाले स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती हैं। यह माहौल वर्ग और जाति व्यवस्था को और गहरा और मज़बूत बना रहा है।

समाज में बराबरी लाने के लिए हमें सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यह स्थिति कई विकसित देशों में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में हमारी सरकार सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान नहीं कर रही है।

कल्याणकारी सरकार या राज्य के आवश्यक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है अपने सभी नागरिकों को सस्ती शिक्षा प्रदान करना। कई देशों में, प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है। नतीजतन, एक करोड़पति और कम कमाई वाले नागरिक का बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाता है। यह कई विकसित देशों में सामान्य आदर्श है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि सरकार स्कूलों के स्तर सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है।

इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक ख़र्च में भारी कमी आई है। कई आयोगों ने सिफ़ारिश की थी कि

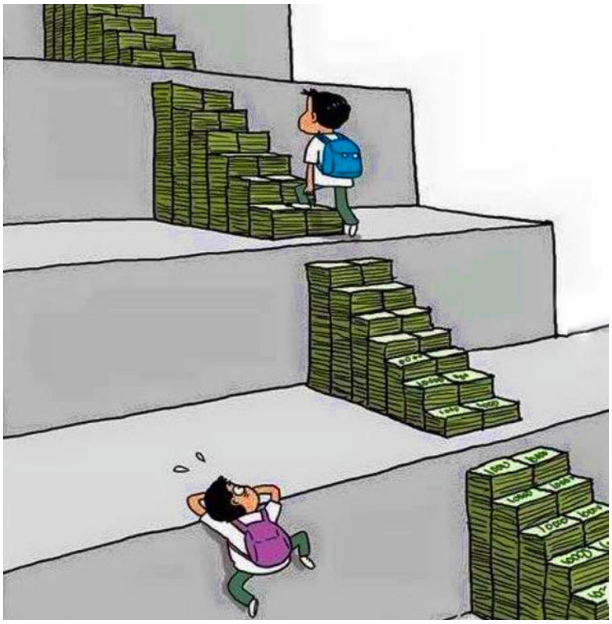

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया जाए, लेकिन यह सिर्फ़ एक नारा ही रहा, उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं किये गए।

एनईपी (नई शिक्षा नीति) 2020 में भी सरकार ने कई अच्छे कार्यक्रमों की योजना बनाई है, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में न तो पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है और न ही कोई समयबद्ध कार्यक्रम। यह केवल शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण हो रहा है, और सरकार धीरे-धीरे शिक्षा की ज़िम्मेदारी से हटना चाह रही है।

यह देखा गया है कि कई बड़े ब्रांड शिक्षा के विशाल बाज़ार में दाख़िल हो रहे हैं। प्री-स्कूल के क्षेत्र में कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने अपने ब्रांड लॉन्च किए हैं। बहुत जल्द, निजी स्कूलों के बाज़ार में भी बाढ़ आ जाएगी।

कॉरपोरेट घराने शिक्षा के बाज़ार में घुस रहे हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य क्षेत्र के बाद मार्केट साइज़ में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए अगर कोई सरकार या समाज शिक्षा को एक वस्तु या बाज़ार के रूप में देखता है, तो वह समाज प्रगति नहीं कर सकता।

यदि भारत ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो इसके लिए हमें शिक्षा में अपने कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ख़ासकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, 10+2 तक। साथ ही सरकार को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक धन का निवेश करना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता हासिल की जा सके।

इन सबसे पहले, सरकार को सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर व सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि उचित सुविधाओं से प्रतिभाशाली छात्रों को भी ठीक तरह से तैयार किया जा सके। उचित सुविधाओं, उचित शिक्षा और उचित मार्गदर्शन वाले ये छात्र शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं तथा राष्ट्र और समाज में योगदान दे सकते हैं। ■■

सबसे पहले, सरकार को सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर व सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि उचित सुविधाओं से प्रतिभाशाली छात्रों को भी ठीक तरह से तैयार किया जा सके। उचित सुविधाओं, उचित शिक्षा और उचित मार्गदर्शन वाले ये छात्र शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं तथा राष्ट्र और समाज में योगदान दे सकते हैं।

(लेखक जमाअत इस्लामी हिन्द के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के निदेशक हैं।)



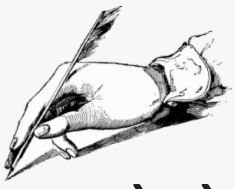

कविता

पहाड़ पर चढ़ने के लिए

पद्मजा घोरपड़े

पहाड़ पर चढ़ने के लिए
चाहिए होते हैं
पहाड़-से पैर
और
समंदर लांघने के लिए
समंदर-सी आंखें
आकाश नापने के लिए
आकाश-सी बांहें
नहीं होता
यह सब कुछ
हमारे पास
तब हम
ढेला दिखाकर
कंकड़ फेंककर
पतंग उड़ाकर
घोषित करते रहते हैं
अपने
पहाड़ होने को!
समंदर होने को!!
आकाश होने को!!!

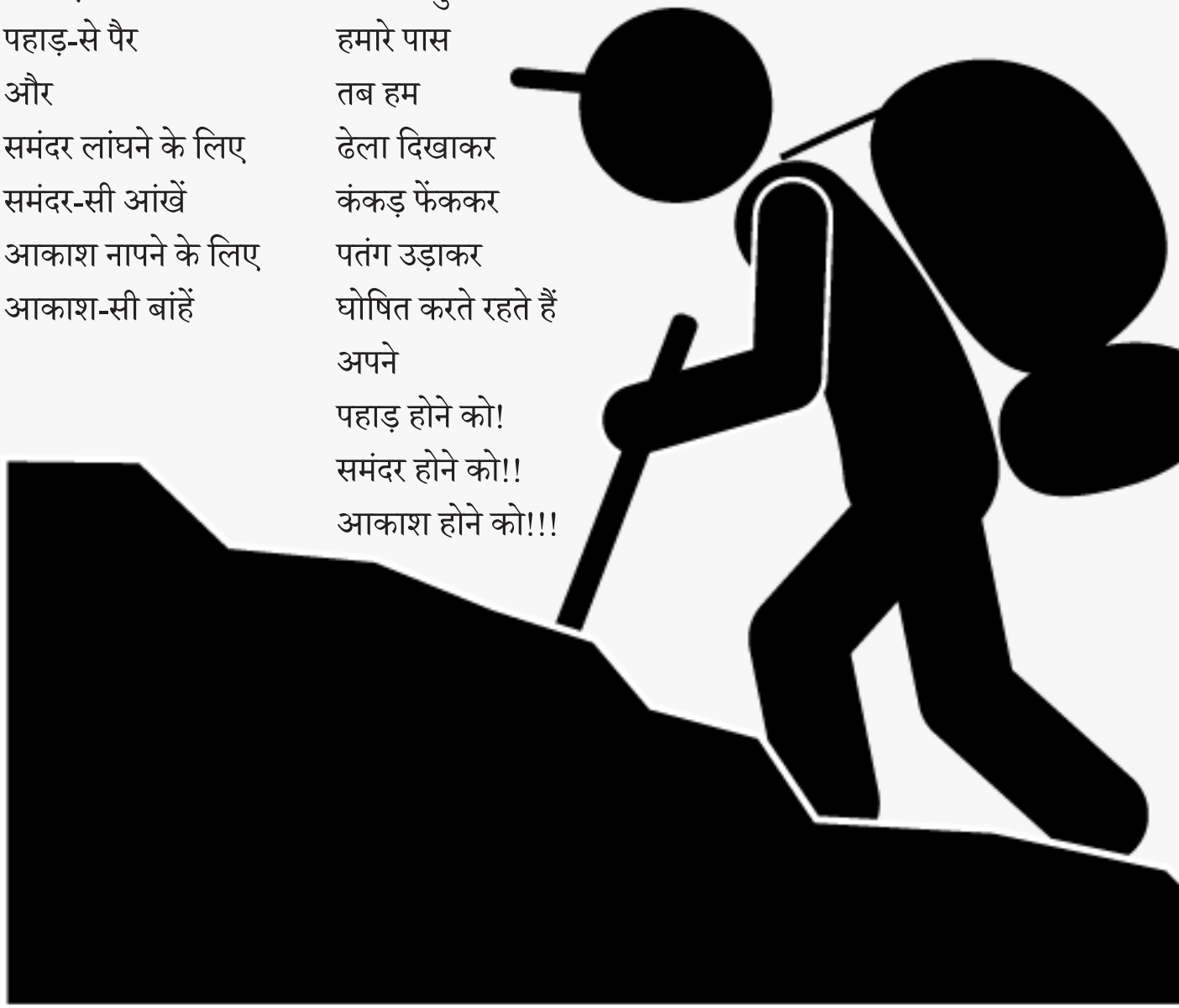

“मुस्लिम वह है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें। और मुहाजिर (वास्तव में) वह है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने रोका है।”

(हदीस : बुख़ारी)

A Well Wisher

Md. Furqan (Hyderabad)

Md. Mubarak Ali Khan (Hyderabad)

Muzaffar Khan (Mumbai)

दवा को उपचार की दरकार



ज्वलंत



डॉ. प्रदीप कुमार

कोई मरीज़ दवा को इसी विश्वास के साथ लेता है कि इससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे क्या मालूम कि वह जो दवाई ले रहा है वह अस्ली है या नक़ली। वह उसे जांच कर तो देखता नहीं और इसे जांचने की कोई आसान प्रक्रिया भी नहीं है। मरीज़ यह नहीं जानता है कि जो कैप्सूल वह खा रहा है उसमें दवाई की जगह चावल का पाउडर या कुछ और भरा है। ये जांचना ड्रग कंट्रोल विभाग और उससे जुड़ी एजेंसियों का काम है।

वैसे तो किसी भी बीमारी की दवा में मिलावट मरीज़ की सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है, लेकिन अगर मिलावट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा में हो तो, मिलावटख़ोरी के अपराध की गंभीरता का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे से दवा के पैकेट की क़ीमत भी लाखों रुपये होती है। मरीज़ भरोसा करके बाज़ार से दवा ख़रीदते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके, लेकिन यदि दवा ही नक़ली या मिलावट की हुई होगी तो मरीज़ को बचा पाना मुश्किल होगा। व्यक्तिगत आर्थिक फ़ायदे के लिए नक़ली दवाओं का कारोबार मरीज़ों की ज़िन्दगी के साथ खिलवाड़ है।

बीते माह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नक़ली दवाई सप्लाई करने वाले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफ़ाश किया, जो पूरे देश में कैंसर की नक़ली दवा बेचता था। पुलिस ने इस मामले में न केवल आठ करोड़ मूल्य की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की नक़ली दवाओं को ज़ब्त किया वरन दिल्ली-एनसीआर से सात लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए पास लोग शामिल थे।

कोढ़ में खाज यह है कि बीते चार वर्षों में इन्सानियत के इन दुश्मनों ने 150 करोड़ रुपये की दवाएं बाज़ार में खपा दीं। इस पूरे गोरखधंधे में एक डॉक्टर की भूमिका प्रमुखता के साथ सामने आई है।

ख़ास बात है कि गैंग का सरग़ना डॉक्टर दिल्ली के अस्पताल में अपनी सेवाएं भी दे रहा था। उसे यह अच्छे से पता था कि कैंसर की दवाएं काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए वह कुछ साथियों के साथ मिलकर नक़ली दवाओं के उत्पादन में शामिल हो गया।

इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में इतने लंबे समय से इतने बड़े पैमाने पर इन नक़ली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। राजधानी में ऐसा साहस दिखाना वाक़ई हैरत की बात है। यही नहीं नक़ली दवाओं की पैकेजिंग, पैकेट और मशीनरी उपकरण भी बड़ी तादाद में बरामद किए गए। यानी दवा बनाने से लेकर इसके देशव्यापी वितरण को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा था। जब राजधानी दिल्ली में यह सब हो सकता है तो देश के बाक़ी हिस्सों में इस तरह के अवैध कारोबार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बताया जा रहा है कि दिल्ली में पकड़े गए नक़ली दवा के उक्त कारोबार का नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, एशिया के सबसे बड़े भागीरथ थोक बाज़ार, बंगाल और चीन तक आपूर्ति कर रहा था। बड़ा सवाल यह है कि यदि ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से फार्मेसी कंपनियों की समय-समय पर जांच हो रही होती, इनके पंजीकरण की जांच की जाती तो क्या इतने बड़े स्तर पर नक़ली दवा बेचकर करोड़ों रुपये कमा लिए गए होते?

सवाल यह भी उठता है कि आख़िर इतना बड़ा नक़ली दवाओं का नेटवर्क राजधानी दिल्ली जैसे शहर में इतने लंबे समय तक कैसे अपने अवैध कारनामों को अंजाम देता रहा? इस संबंध में ड्रग कंट्रोल विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठता है।

ऐसे समय में जब देश के आम नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए पूरा चिकित्सा तंत्र एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है, राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से नकली दावाओं के कारोबार की ख़बरों का आना बेहद चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से कहता आ रहा है कि भारत सहित एशियाई देशों के दस प्रतिशत से अधिक दवा उत्पाद नकली हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में नक़ली दवा का कारोबार पैंतीस फ़ीसद तक जा पहुंचा है।

ऐसे समय में जब देश के आम नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए पूरा चिकित्सा तंत्र एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है, राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से नक़ली दवाओं के कारोबार की ख़बरों का आना बेहद चिंताजनक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से कहता आ रहा है कि भारत सहित एशियाई देशों के दस प्रतिशत से अधिक दवा उत्पाद नक़ली हैं। मगर राजधानी दिल्ली सहित देश के महानगरों में मानक रहित गुणवत्ताहीन दवाओं के थोक विक्रय बाज़ार निर्मित हो चुके हैं। दवा माफ़िया इन बाज़ारों को संचालित कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में नक़ली दवा का कारोबार पैंतीस फ़ीसद तक जा पहुंचा है। कारण यही निकल कर सामने आता है कि ड्रग विभाग की निगरानी एवं जांच की प्रक्रिया ढीली है।

जब इतनी बड़ी मात्रा में नक़ली दवाओं के कैप्सूल फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हों, विदेशों तक आपूर्ति हो रही हो, ऑनलाइन बेचने का भी पूरी व्यवस्था बनाई गई हो, तो फिर यह ड्रग कंट्रोल विभाग की पकड़ से कैसे बाहर हो सकता है? हमारे देश में नक़ली दवाओं के कारोबार के अलावा दवाओं के निर्माण से लेकर उनके विक्रय तक पूरा उद्योग विसंगतियों से भरा पड़ा है। दवाओं की गुणवत्ता परखने वाली त्वरित प्रयोगशालाओं की कमी है।

देश की जनसंख्या, दवाओं के निर्माण और खपत के आधार पर इनके विस्तार पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। देश में मात्र तीन दवा परीक्षण

प्रयोगशालाएं हैं, जहां से परीक्षण रिपोर्ट कम से कम छह माह की अवधि में मिलती है। राज्यों में दवा निरीक्षकों के सत्तर फ़ीसद पद ख़ाली हैं, इसलिए दवाओं की दुकानों पर अब नियमित जांच नहीं होती। निश्चित तौर पर यह जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है।

जानकारों का कहना है कि मुख्य रूप से महंगी दवाओं में नक़ली का खेल चल रहा है। कैंसर और किडनी के इलाज में प्रयुक्त होने वाले एक इंजेक्शन की क़ीमत एक लाख से लेकर पांच लाख तक की होती है। बाज़ार के



जानकारों की माने तो बाज़ार के कुछ बड़े थोक व नामी विक्रेता इस खेल में शामिल हैं। इसमें अधिकतर वे लोग हैं जो पेटेंट महंगी दवाओं का कारोबार करते हैं। इसमें पूरा गिरोह काम करता है और इसमें ड्रग विभाग की मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

नक़ली दवाओं का कारोबार बिना थोक दुकानदार की मिलीभगत से नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि अमुक दवा कंपनी के कर्ता-धर्ता कौन हैं और उसे कहां से दवा मंगानी है। आम लोगों के लिए नक़ली दवाओं की पहचान आसान नहीं है, क्योंकि इसके रैपर और पैकिंग किसी ब्रांडेड दवा कंपनी और उसके उत्पाद के हूबहू होती है। ऐसे में ड्रग कंट्रोल विभाग की जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है।

दवाओं के संबंध में आमतौर पर दो तरह के मामले सामने आते हैं। एक, जिसकी गुणवत्ता ठीक न हो। ऐसी दवा में ज़रूरी मालिक्यूल निर्धारित मात्रा से कम हो सकते हैं या पैकेजिंग ठीक नहीं होने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। दूसरी नक़ली दवाएं, जिसमें अस्ली मालिक्यूल न हों, किसी अन्य चीज़ से तैयार की गई हो। अभी जो नक़ली दवा पकड़ी गई है उनमें स्टार्च भरा हुआ था।

कुल मिलाकर यह बेहद गंभीर समस्या है और इसमें समय गंवाए बिना कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन मामलों पर रोक लगाने के लिए आमजन को जागरूक होने के साथ ही राज्य व केंद्र सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। ड्रग कंट्रोल को फैक्ट्री व कैमिस्ट की दुकान पर सर्विलांस बढ़ाने की ज़रूरत है। कई बार लाइसेंस लेकर कुछ दिनों तक मानक के अनुरूप दवा बनाने के बाद फैक्ट्री संचालक इस काले कारनामे से जुड़ जाते हैं और मरीज़ों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर समय-समय पर ड्रग कंट्रोलर फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करेंगे तो फैक्ट्री मालिक किसी भी अवैध गतिविधि को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेंगे, क्योंकि अनियमितता मिलने से उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है।

ड्रग कंट्रोल विभाग को चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर अधिक से अधिक संख्या में सैंपल उठाएं ताकि बाज़ार में नक़ली दवाओं के पहुंचते ही उसकी पहचान कर उसे ज़ब्त किया जा सके। दवाओं की गुणवत्ता जांच और उसकी निगरानी में ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी भी आड़े आती है, इसलिए दवा फैक्ट्री व दवा दुकानों की संख्या के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

हमारे देश के क़ानून में नक़ली दवाओं का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त सज़ा का प्रावधान है, इसके तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर कुछ वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। नक़ली दवाओं के मामले में मृत्युदंड के प्रावधान पर भी विचार किया गया था, लेकिन इसका प्रावधान नहीं हो पाया। आजीवन कारावास का प्रावधान होने के साथ-साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था ताकि मामलों पर जल्दी सुनवाई पूरी कर कार्रवाई हो सके। ऐसे आपराधिक कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसा अपराध करने की हिम्मत न जुटा सकें। ■■

"जब अल्लाह
किसी बन्दे से प्रेम करता है
तो वह उसको दुनिया से इस प्रकार
बचाता है जिस प्रकार तुममें से कोई
अपने बीमार को पानी से
परहेज़ कराता है।"
(हदीस : तिरमिज़ी)

A Well Wisher

M RAZA KHAN (KOLKATA)

RAHI RAHMAN (MUMBAI)

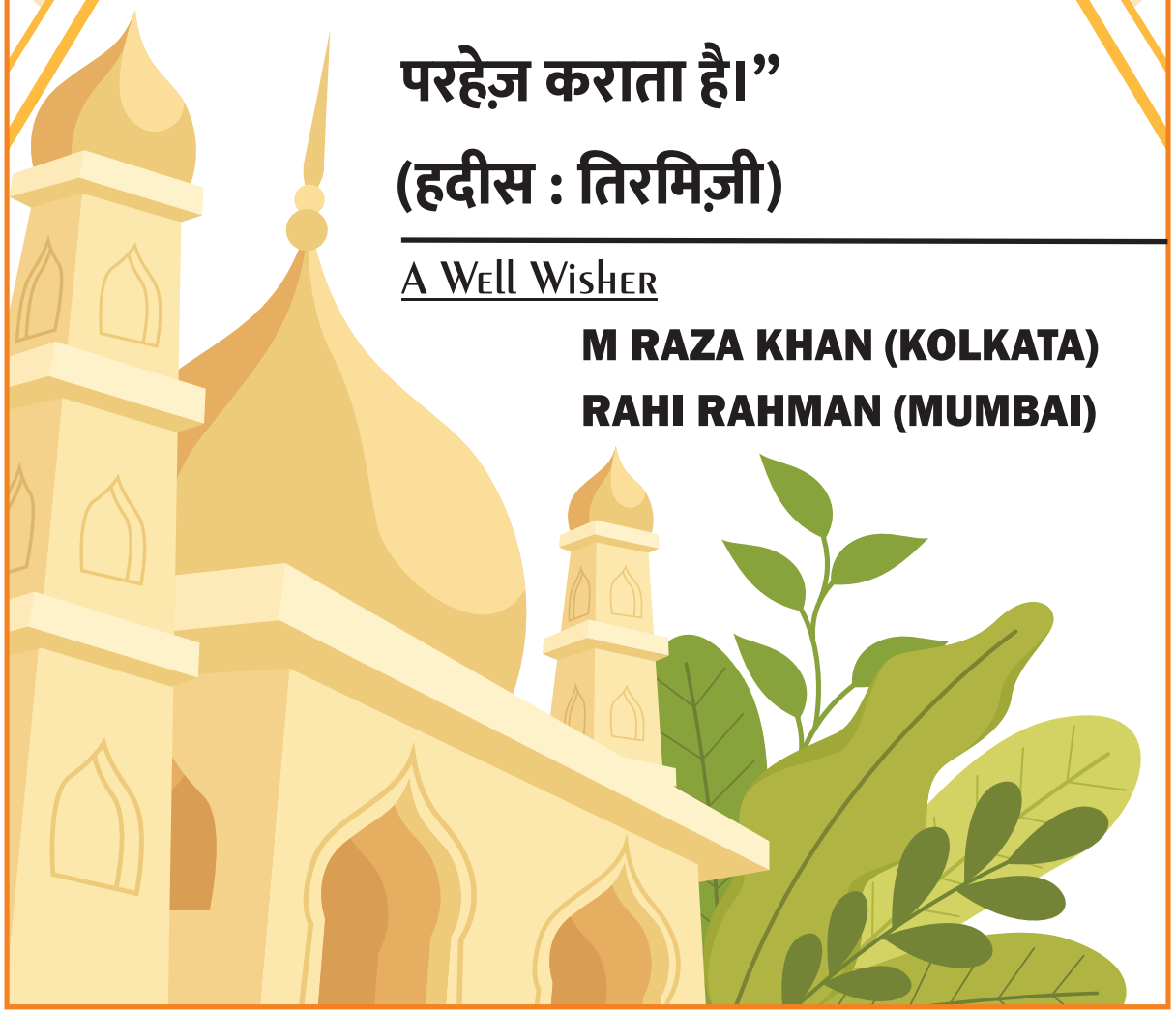

श्रद्धा हत्याकांड



विकृति बनते 'लिव-इन' रिश्ते

समसामयिक

तबाना नूरी

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते माह श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों को इस मामले से जुड़े नए-नए तथ्यों और विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण और आलेख भी पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने को मिले। मुंम्बई की रहने वाली 26 वर्षीय युवती श्रद्धा, आफ़ताफ़ पूनावाला नामक युवक के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' (बिना विवाह के सहजीवन) में रह रही थी। दिल दहलाने वाली इस घटना में लंबे समय तक साथ रहने के बाद पीड़िता द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर उसके 'लिव-इन' पार्टनर ने न केवल बेरहमी से गला घोंट कर हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। निःसंदेह यह अपनी तरह का विरला और वीभत्स मामला है, लेकिन इकलौता नहीं है। इस तरह की घटनाएं रह-रहकर सामने आती रहती हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' को भारत में वैधानिक दर्जा दिया। ग़ौर करने वाली बात यह है कि जब

से ऐसे रिश्तों को वैधानिक आवरण मिला है, तब से ऐसे रिश्तों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। आज की जीवन-शैली में अपनाए जा रहे मनचाहे रिश्तों ने नई तरह की असामाजिकता, असुरक्षा और अपराध के आंकड़े बढ़ाए हैं। भारतीय संस्कृति के विपरीत यह चलन भारत के लोगों को उनकी सभ्यता से अलग करता है। भारतीय शादियां प्रेम एवं परस्पर समर्पण भाव पर चलती हैं, जबकि 'लिव-इन' रिश्ते सुविधा और सहूलियत पर आधारित उपभोक्तावादी मानसिकता से ओत-प्रोत होते हैं।

ऐसी अनेक घटनाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं, जब लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, आत्म-हत्या और धोखाधड़ी की अनेक घटनाएं 'लिव-इन' संबंधों के कारण हुईं। यह कटु सच है कि 'लिव-इन' संबंधों में आए दिन घरेलू हिंसा, मौखिक दुर्व्यवहार और बर्बरता से हत्या के मामले सामने आते हैं।

आज श्रद्धा हत्याकांड के विविध पक्षों पर बहस हो रही है। कहीं 'लव जिहाद' तो कहीं 'घर वापसी' जैसे मुद्दों पर दंगल चल रहा है। बुराई या अपराध को विवेक के चश्मे से न देखकर इसे सांप्रदायिक रंग देना कुछ लोगों के हित में भले हो, लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाती। ग़ौरतलब है कि नैना साहनी तंदूर कांड भी इससे कुछ अलग नहीं था। सुशील शर्मा ने नैना साहनी के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक मान्यता देने की जगह गोली मार दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर की बोटी-बोटी बगिया रेस्तरां के तंदूर में जला दी थी।



हाल में ही जोधपुर में भी 'लिव-इन' में रह रहे साथी को नशा करने पर रोकने-टोकने के चलते पार्टनर ने ग़ुस्से में गला दबाकर लड़की की जान ले ली थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में ही एक और महिला की 'लिव-इन' पार्टनर द्वारा हत्या कर लाश को हाइवे पर फेंकने की घटना सामने आई। बीते माह अक्तूबर में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 'लिव-इन' में रह रही महिला ने साथ रहने से मना किया, तो पार्टनर ने पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं के समाचार देश के कोने-कोने से आते रहते हैं।

मौजूदा दौर में 'लिव-इन' संबंधों से उपजी असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि कई बार न्यायालय द्वारा भी ऐसे रिश्तों पर तीखी टिप्पणी की गई है। पिछले साल यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने लिव-इन संबंधों को अभिशाप बताते हुए उसे नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का बाई-प्रोडक्ट बताया था। दरअस्ल, 'लिव-इन' संबंधों में असुरक्षा और अपूर्णता हमेशा से बनी हुई है। एक-दूसरे का साथ पाकर भी सहजीवन के रिश्ते में भीतर के ख़ालीपन और भय का माहौल हमेशा बना रहता है। ऐसे अधिकतर रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता।

यह कहना ग़लत न होगा कि आज के भौतिकतावादी जीवन-दर्शन ने लोगों को सच्चे मूल्यों से बग़ावत करने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह आधुनिक बनने की होड़ में जब युवा पीढ़ी ने प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को तिलांजलि दे दी, तो उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं कि वयस्क युवक-युवतियां बिना विवाह के

एक साथ एक छत के नीचे पति-पत्नी की तरह रहने लगे। आज वे अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं। नतीजतन, ऐसे संबंधों में भी हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक हिंसा की घटनाएं सामने आने लगीं।

लिव-इन संबंधों की वकालत इस दलील के आधार पर की जाती है कि इससे युगल को एक-दूसरे को जानने-समझने का बेहतर अवसर मिल जाता है। यदि ऐसा है तो श्रद्धा ख़ूंख़ार आफ़ताब के साथ रहते हुए भी उसे क्यों नहीं पहचान पाई और यदि उसे उसकी दरिंदगी का अंदाज़ा भी हो गया था तो क्यों वह उसके साथ रहती रही?

कुछ समय पहले ऑरमैक्स मीडिया द्वारा भारत के 40 शहरों में युवाओं को लेकर किए गए एक अध्ययन में 72 फ़ीसदी युवाओं ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप विफल रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सहजीवन के रिश्ते में भावनात्मक धरातल पर ख़ालीपन ही देखने को मिलता है। ऐसी बर्बर घटनाएं ऐसे ही अकेलेपन का नतीजा हैं। यही वजह है कि कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने 'लिव-इन' संबंधों को शादी का दर्जा देने की बात कही थी, ताकि सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने से दूर क़ानूनी नियमों के ज़रिये ही सही इन संबंधों को स्थिरता और सुरक्षा दी जा सके।

ऐसा नहीं है कि शादी के रिश्ते में सब सहज ही रहता है, पर दायित्वबोध और पारिवारिक जुड़ाव का भाव एक मज़बूत पृष्ठभूमि बनकर जन-जीवन को थामता है। वैवाहिक संबंधों से जुड़ी सामाजिक स्वीकार्यता सुरक्षा और संबल देती है। लिव-इन संबंधों में कोई बंधन नहीं होता, तो ज़िम्मेदारी का भाव भी नहीं होता है। कई मामलों में तो इन संबंधों की शुरुआत ही शोषण के इरादे से की जाती है।

अफ़सोस है कि 'लिव-इन' संबंधों में भी लड़कियां ही ज़्यादा ठगी जाती हैं। वे अपने लिव-इन पार्टनर की तुलना में इन संबंधों को लेकर अधिक संवेदनशील होती हैं। एक समय के बाद अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर आशंकित होने पर वे शादी कर घर बसाने के बारे में सोचने लगती हैं। इन संबंधों में कितनी ही महिलाएं लिव-इन साथी द्वारा यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर चुप्पी साध लेती हैं। यही नहीं, इन संबंधों में जन्मे बच्चों की ज़िम्मेदारी और सुरक्षा भी लंबे समय से बहस का मुद्दा बनी हुई है।

कुल मिलाकर 'लिव इन' संबंधों ने भारतीय समाज में कई नए प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। मूल्यहीनता के जिस भंवर में भारतीय समाज धंसता जा रहा है, उसे समय रहते उससे निकाला जाना नितांत आवश्यक है। यदि भारत के विशेष संदर्भ में बात करें तो यहां आज भी विवाह और परिवार को उच्च स्तरीय सामाजिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना ज़रूरी है कि बिना जवाबदेही वाले 'लिव-इन' संबंधों में विवाह संस्था जैसी भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा मिल पाना बहुत मुश्किल है।

चूंकि आमतौर पर ऐसे संबंधों का ख़ामयाज़ा लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्तिगत पसंद के मुताबिक़ जीने की इच्छा रखने वाली लड़कियां न केवल प्रेम के सही मायने को समझें, बल्कि अपने भविष्य और सुरक्षा के बारे में भी सोचें। अगर हम उच्च मानवीय मूल्यों की तलाश एक अंधे कुएं में करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी।

(लेखिका ऑस्ट्रेलिया में रह रही अप्रवासी भारतीय हैं)

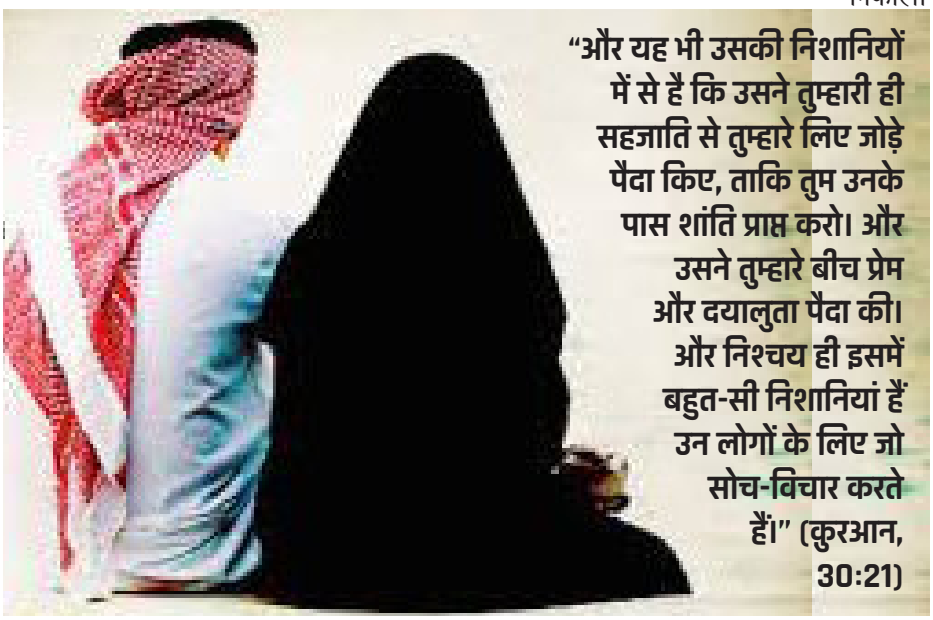

"और यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो। और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की। और निश्चय ही इसमें बहुत-सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।" (क़ुरआन, 30:21)

"ज़मीन और आसमानों
में जो कुछ भी है अल्लाह का है।
और जो (फ़रिश्ते) उसके पास हैं वे न
अपने को बड़ा समझकर उसकी बन्दगी
से मुंह फेरते हैं और न दुखी होते हैं।
रात और दिन उसकी तसबीह करते
रहते हैं, दम नहीं लेते।"

(क़ुरआन, 21:19)

with best compliment from

- Siraj Haider (hyderabad)
- Sharafat Husain (Mumbai)

नोटबंदी : निर्णय और जवाबदेही



सरोकार

जितेंद्र गौतम

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी के फ़ैसले और इसकी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई के निर्णय ने एक बार फिर इसे चर्चा में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि नोटबंदी के दौरान नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और सरकार ने फ़ैसला लेने में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिनों स्पष्ट किया कि वह सरकार के नीतिगत फ़ैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से अच्छी तरह वाक़िफ़ है, लेकिन वह वर्ष 2016 के नोटबंदी के फ़ैसले की समीक्षा अवश्य करेगा। पीठ ने आगे कहा, ''हम हमेशा जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहां है, लेकिन जिस तरह से इसे किया गया था, उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। रिकॉर्ड में क्या फ़ैसला लिया गया था? क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया?'' सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नोटबंदी की सिफ़ारिश करने वाले आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के बारे में भी ब्योरा मांगा।

आज नोटबंदी के छह साल बीत जाने के बाद भी इसके फ़ायदे-नुक़सान को लेकर बहस जारी है। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में मदद मिली, जबकि आलोचकों का कहना है कि सरकार का यह फ़ैसला हर लिहाज़ से अनुचित था। यह फ़ैसला काले धन पर

अंकुश लगाने और नक़दी पर निर्भरता को कम करने में विफल रहा है। हालांकि इस फ़ैसले का मुख्य मक़सद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और काले धन पर अंकुश लगाना तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को ख़त्म करना बताया गया था।

ग़ौरतलब है कि नोटबंदी एक ऐसा क़दम था, जिससे समूचा भारत व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ। ग़रीब, अमीर, छोटा, बड़ा, बुज़ुर्ग, बच्चे और महिलाएं हर किसी को नोटबंदी के फ़ैसले ने प्रभावित किया। नोटबंदी लागू करने के लिए किसी तरह की पुख़्ता तैयारी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों की नहीं थी। इस वजह से रोज़ नियमों में बदलाव हो रहे थे। रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार दोनों ने कुल 70 से अधिक बदलाव किए। अचानक नोटबंदी के फ़ैसले से पूरे देश में अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया था। हालात को क़ाबू में करने के लिए नोटबंदी से जुड़े नियम हर रोज़ बदले जा रहे थे, जिससे यह साफ़ हो गया था कि नोटबंदी को लेकर सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं थी।

नोटबंदी के इतिहास को देखें तो साफ़ पता चलता है कि जिस भी देश में नोटबंदी लागू की गई, वह देश कुछ ही वर्षों में मंदी का शिकार हो गया। जानकारों और अर्थशास्त्रियों की मानें तो मौजूदा विकट आर्थिक परिस्थितियों के पीछे भी कहीं न कहीं नोटबंदी ज़िम्मेदार हैं। जिनमें महंगाई, बेरोज़गारी और रुपये की गिरती क़ीमत की समस्याएं प्रमुख हैं।



जानकारों और अर्थशास्त्रियों की मानें तो मौजूदा विकट आर्थिक परिस्थितियों के पीछे भी कहीं न कहीं नोटबंदी ज़िम्मेदार है। जिनमें महंगाई, बेरोज़गारी और रुपये की गिरती क़ीमत की समस्याएं प्रमुख हैं।

8 नवम्बर वर्ष 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मात्र एक घोषणा द्वारा देश पर नोटबंदी थोप दी गई। इस फ़ैसले की अचानक घोषणा किए जाने के बाद व्यावहारिक रूप से इसके नुक़सान ही ज़्यादा देखने को मिले। बैंक की लंबी क़तारों में बहुतों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आम लोगों के रोज़ी-रोज़गार और काम-धंधों पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला।

नोटबंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जो ज़्यादातर कैश में लेन-देन करते थे। उनमें अधिकतर छोटे उद्योग शामिल हैं। नोटबंदी के दौरान इन उद्योगों के लिए नक़दी की क़िल्लत हो गई। इसकी वजह से उनका कारोबार ठप पड़ गया। लोगों की नौकरियां गईं। बड़ी संख्या में बेरोज़गारी बढ़ी। आज छः वर्ष के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। नोटबंदी का प्रभाव संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कारोबारों पर पड़ा।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद जनवरी अप्रैल 2017 के बीच 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। मई से लेकर अगस्त 2019 के बीच 59 लाख लोगों को फैक्ट्रियों और सेवा क्षेत्रों से निकाल दिया गया। सरकारी विभागों में

तो नौकरियों की क़िल्लत लगातार बढ़ ही रही थी, इधर नोटबंदी के बाद निजी कंपनियों ने भी नौकरियों में छंटनी की।

नोटबंदी के पीछे सरकार का तर्क था कि इसके बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और कालेधन में इस्तेमाल होने वाला पैसा सिस्टम में आ जाएगा। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के दौरान बंद हुए 99.30 फ़ीसदी 500 और 1,000 के पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। इसका मतलब यह था कि वह कालाधन नहीं था।

नोटबंदी के बाद जीडीपी को झटका लगा, जिससे देश अभी तक नहीं उबर पाया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घट कर 6.1 फ़ीसदी पर आ गई थी जबकि इसी दौरान वर्ष 2015 में यह 7.9 फ़ीसदी पर थी।

नोटबंदी का प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी व्यापक रूप से देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, नोटबंदी की वजह से भारत के लाखों किसान ठंड की फ़सलों के लिए ख़ाद और बीज नहीं ख़रीद पाए थे।

नोटबंदी के फ़ैसले से आम जनता को ही सबसे अधिक दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा। बड़े नेता, अफ़सर, कारोबारी जिसके पास अपराध का पैसा था उन्होंने जुगाड़ करके कालेधन को सफ़ेद कर लिया। छोटे कारोबारियों पर इसकी मार ज़्यादा पड़ी। नक़दी की कमी से उनके कारोबार ठप पड़ गए। बड़े उद्योगपतियों का ज़्यादातर कामकाज नक़द में नहीं होता। इसलिए उन पर ख़ास असर नहीं पड़ा।

कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उस समय कहा था कि नोटबंदी का असर देश की ख़राब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। देश मंदी का



शिकार हो जाएगा। उस समय उनकी बात को महत्त्व नहीं दिया गया पर नोटबंदी के छः वर्ष बाद आज वह बात सच साबित हो गई है। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 50 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव सालों बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है।

नोटबंदी के इतिहास को देखें तो साफ़ पता चलता है कि जिस भी देश में नोटबंदी लागू की गई, वह देश कुछ ही वर्षों में मंदी का शिकार हो गया। वर्ष 1921 से 1927 के बीच जब मुसोलिनी ने इटली की करेंसी लीरा को बंद करके अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाक़ी देशों ने इटली की करेंसी पर विश्वास करना बंद कर दिया। नतीजा, कुछ ही वर्षों में इटली आर्थिक रूप से कंगाल हो गया। जर्मनी में हिटलर ने नोटबंदी की तो लोग एक बीलियन मार्क से भी दिनभर की रोटी नहीं ख़रीद पा रहे थे। हिटलर ने यह काम स्टालिन को नीचा दिखाने के लिए किया, लेकिन इसका गंभीर परिणाम निकला।

वर्ष 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कालेधन पर क़ाबू पाने के लिए 50 और 100 रूबल को बंद कर दिया जो कुल करेंसी का एक तिहाई हिस्सा हुआ करते हैं। नतीजतन कुछ सालों के बाद सोवियत संघ का भूगोल ही बदल गया।

इसी प्रकार भारत के सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का निर्णय देश पर थोप दिया, बिना यह सोचे-विचारे कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।

दरअस्ल केंद्र सरकार द्वारा देश में देशवासियों पर थोपी गई नोटबंदी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। नोटबंदी ने लोगों को परेशानी और मौत के अलावा कुछ भी नहीं दिया। नोटबंदी के नाकाम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि नोटबंदी बिना किसी तैयारी के थोप दी गई, जिससे लाभ की जगह नुक़सान ही नुक़सान हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने सरकार के इस फ़ैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे जान व माल का जो नुक़सान हो चुका, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ■■



सामाजिक गणतंत्र का सपना अधूरा

"संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले ग़लत होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाएगी।" –डॉ. भीम राव आम्बेडकर

विशेष

संपादन प्रभाग

गणतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, शायद यही सोचकर हमारे पूर्वजों ने भारत का संविधान बनाया और आज़ादी के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत, संसदीय गणतंत्र हो गया। आज हमारा देश संसदीय गंणतंत्र के सात दशक से भी ज़्यादा का समय पूरा कर चुका है। आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बताते हुए गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन बात जब गणतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुए आकलन की आती है तो दुनिया में हमारा स्थान बहुत पीछे रह जाता है। आमतौर पर लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में जिन देशों को त्रुटिपूर्ण गणतांत्रिक चेतना का देश माना जाता है, उनमें भारत भी एक है। भारत में शासकीय कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्कृति में बेहतरी की आवश्यकता बताई गई है। अतः विचार और जवाबदेही के इस चौराहे पर आम्बेडकर के इस बयान को दोहराना ज़रूरी है कि ''संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले ग़लत होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाएगी।''

आज इस बात पर मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारा देश कैसा गणतंत्र है? और यहां कैसा गणतंत्र होना चाहिए? सवाल यह भी है कि यहां का गणतंत्र, वास्तव में 'गण' यानी लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में संचालित व्यवस्था है? यदि हां तो फिर देश के नागरिकों को अपने साझा अधिकारों एवं हितों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य क्यों याद दिलाने पड़ रहे हैं? नागरिक कौन होगा; कौन नहीं? यह तय करना, स्वयं नागरिकों के हाथों में क्यों नहीं है?

गणतंत्र दिवस सच पूछिये तो

यह याद करने का दिन है कि अब हम साम्राज्यों या कि राजे-महाराजाओं के शासन के दौर से बाहर निकल आए हैं और आगे संविधान की व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों के बनाए नियम-क़ानूनों द्वारा शासित होंगे। जानकारों की भाषा में कहें तो यह ख़ुद के द्वारा ख़ुद पर शासन होगा, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनादेश के अधीन रहकर हर तरह की मनमानी से परहेज़ करना होगा।

इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय गणतंत्र के उस संकल्प को परम पवित्र मानकर चलना होगा, जो उसकी प्रस्तावना में वर्णित है और जिसमें कहा गया है कि यह संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा हम सबमें व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के उद्देश्य को समर्पित होगा। 'ख़ुद ही शासक ख़ुद की शासित' की इस स्थिति में किसी के कहे या बताए बिना भी समझा जा सकता है कि संविधान का यह उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब देशवासी उसे आधे-अधूरे नहीं बल्कि पूरे मन से अंगीकृत व आत्मार्पित कर सम्यक रूप से अपने आचरण में उतारेंगे। इसके बग़ैर अधिनियमित होने के बावजूद वह औपचारिकता से वास्तविकता तक की अपनी यात्रा की सारी बाधाएं नहीं दूर कर पाएगा।

यहां सवाल स्वाभाविक है कि गणतंत्र के सात से ज़्यादा दशकों के गुज़र जाने के बाद यह सब याद दिलाने का क्या तुक है? इसका जवाब बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के इन शब्दों में है कि इसके बग़ैर संविधान अस्तित्व में तो रह सकता है, लेकिन अस्तित्व की गुणवत्ता या स्तर नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि इन सात से ज़्यादा दशकों में देश में सरकारें कितनी भी और किसी की भी क्यों न आई गई हों, संविधान का शासन अपनी गुणवत्ता के वांछित स्तर की प्राप्ति के लिए तरसता ही रहा है। निःसंदेह, इसीलिए संविधान के निर्माताओं द्वारा उसके सच्चे शासन के लिए नागरिकों से जो न्यूनतम अपेक्षा की गई है, वह यह कि वे सच्चे अर्थ में नागरिक बनें, संविधान के तहत मिले अपने अधिकारों व कर्तव्यों को ठीक से समझें और उनके पालन के प्रति जागरूक रहें। विडम्बना यह है कि अभी भी देश के नागरिकों का बड़ा हिस्सा इसकी पूरी जानकारी से महरूम है कि संविधान बना तो उसमें उन्हें सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ये हैं–समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, इसलिए अब वह महज़ क़ानूनी अधिकार है, जबकि शेष छह मौलिक नागरिक अधिकार बने हुए हैं।

संविधान के तहत राज्य का दायित्व है कि वह इन अधिकारों की किसी भी तरह के अतिक्रमण से रक्षा करे, ताकि सारे नागरिकों की समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के संवैधानिक उद्देश्य का रास्ता निर्बाध बना रहे। अलबत्ता, संविधान इन अधिकारों

आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बताते हुए गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन बात जब गणतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुए आकलन की आती है तो दुनिया में हमारा स्थान बहुत पीछे रह जाता है। आमतौर पर लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में जिन देशों को त्रुटिपूर्ण गणतांत्रिक चेतना का देश माना जाता है, उनमें भारत भी एक है। भारत में शासकीय कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्कृति में बेहतरी की आवश्यकता बताई गई है।

को संपूर्ण नहीं क़रार देता इसलिए वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं और उन्हें संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन न होने की सीमा तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है–संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन द्वारा।

दुर्भाग्य से हम अभी भी नागरिकों के बड़े हिस्से को इन अधिकारों के प्रति सचेत नहीं कर पाए हैं। हमारे इस 'न कर पाने' की भरपाई मौलिक कर्तव्यों के प्रति उनका अनुराग जगाकर की जा सकती थी, लेकिन इस अनुराग की स्थिति अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव से भी बुरी है।

प्रसंगवश, संविधान के अनुच्छेद 51 (क) एवं भाग 4 (क) में नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और अपेक्षा की गई है कि वे उन्हें निभाएंगे। इनमें पहला कर्तव्य संविधान को सर्वोच्च मानकर उसके आदर व अनुपालन और साथ ही तिरंगे व राष्ट्रगान के सम्मान से जुड़ा है, जबकि अन्य कर्तव्यों में राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विचारधारा, **आदशरे**, मूल्यों, संस्कृतियों, सामाजिकताओं, प्राकृतिक संपदाओं और सार्वजनिक संपत्तियों वग़ैरह की रक्षा, संरक्षण, वृद्धि व सम्मान की बात कही गई है। इसी तरह स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाले सेनानियों और सहजीवी नागरिकों के अधिकारों के आदर, वैज्ञानिक मानदंडों में विश्वास और ज्ञान के नये क्षेत्रों के विकास व वृद्धि भी नागरिकों के कर्तव्य हैं। जो नागरिक माता या पिता हैं, उनका अलग से एक कर्तव्य गिनाया गया है। यह कि वे अपने छह से चौदह साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल अवश्य भेजेंगे।

ग़ौरतलब है कि 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित इन नागरिक कर्तव्यों का पालन बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन जागरूकता के अपेक्षित स्तर के अभाव में 'उत्तरदायित्व समझकर' इनका 'अनिवार्य रूप से पालन करने' के संवैधानिक निर्देश के बावजूद नागरिकों के 'कर्तव्यबोध' में कोई गुणात्मक बदलाव आता नहीं दिख रहा।

निःसंदेह यह स्थिति नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जानकार व जागरूक बनाने के ऐसे बड़े देशव्यापी सामाजिक-सांस्कृतिक अभियान की मांग करती है, जिसमें उन्हें संविधान के गुणों व मूल्यों से भी यथेष्ट रूप से अवगत कराया जाए। डॉ. अम्बेडकर के इस कथन के आईने में कि संविधान के तहत बहुमत के शासन का नियम उतना पवित्र नहीं है, जितना समझा जाता है। इस शासन को सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि नियम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए हमारे जैसे बहुलताओं व विविधताओं वाले देश में राज्य को जटिल विवादों को सुलझाने के लिए सर्वसम्मति का नियम ही अपनाना चाहिए। जूरी पद्धति के अनुसार, जिसमें कोई निर्णय तभी बाध्यकारी होता है, जब सर्वसम्मति से किया गया हो।

अतः निष्कर्ष रूप में यह भी कहा जा सकता है कि हम संवैधानिक गणतंत्र तो हैं, किंतु लोकतांत्रिक गणतंत्र होने के लिए हमें अपनी चाल, चरित्र और व्यवहार में अभी बहुत कुछ बेहतर करना बाक़ी है। क्या करें? आइए, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम, भारत की जनता इस पर विचार करें।

■■

आज इस बात पर मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारा देश कैसा गणतंत्र है? और यहां कैसा गणतंत्र होना चाहिए? सवाल यह भी है कि यहां का गणतंत्र, वास्तव में 'गण' यानी लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में संचालित व्यवस्था है? यदि हां तो फिर देश के नागरिकों को अपने साझा आधिकारों एवं हितों लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य क्यों याद दिलाने पड़ रहे हैं? नागरिक कौन होगा; कौन नहीं? यह तय करना, स्वयं नागरिकों के हाथों में क्यों नहीं है?







शानदार संदेश

प्रस्तुती : नईम अलहिन्दी

क़तर में बीते माह आयोजित फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप-2022 में दुनिया भर से गत चैंपियन फ्रांस समेत कुल 32 टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन लगभग एक महीने तक चला। किसी अरब देश में फ़ुटबाल विश्व कप का यह पहला आयोजन था। इस आयोजन की ख़ास बात यह रही कि इसकी शुरुआत क़ुरआन की तिलावत (पाठ) से हुई।

हॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले मॉर्गन फ्रीमैन के साथ शारीरिक रूप से अक्षम ग़नीम अल-मुफ़्ता ने उद्घाटन मंच से दुनिया भर को आशा, एकता और सहिष्णुता का शानदार संदेश दिया। मुफ़्ता क़तर के यूथ आइकन कहे जाते हैं। उनकी कहानी दुनिया भर के युवाओं और विकलांग लोगों के लिए एक शानदार मिसाल है। वे फ़ीफ़ा विश्व कप के एंबेसेडर भी हैं और उन्होंने ही मंच से



FIFA WORLD CUP Qatar2022

क़ुरआन की कुछ आयतों का पाठ किया था। बता दें कि क़ुरआन की सूरह अल-हुजुरात की जिस आयात की तिलावत की गई थी उसका अनुवाद ये है-

"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह (ईश्वर) के समक्ष तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है।"

(क़ुरआन, 49:13)

इस उद्घाटन समारोह के दौरान ग़नीम अल-मुफ़्ता ने अमेरिकी अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन के साथ अपने शानदार संवादों के ज़रिये दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ख़ूब सुर्खियां बटोरीं। उल्लेखनीय है कि इसका प्रसारण एक ही समय में दुनिया भर के लगभग 500 टीवी चैनलों पर हो रहा था। वास्तव में अल-मुफ़्ता ने क़ुरआनी आयातों के हवालों से दुनिया को शांति, सद्भावना और सहिष्णुता से जुड़ा जो संदेश दिया वह अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। ■■

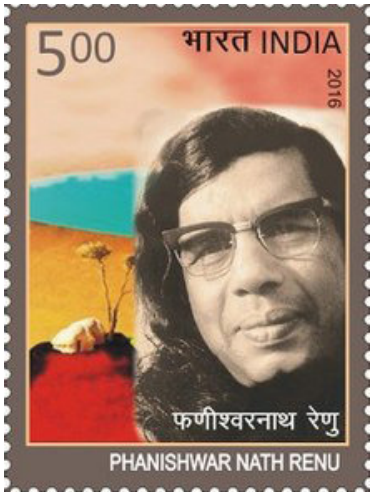

ठेस

कहानी



फणीश्वरनाथ रेणु

खेती-बारी के समय, गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, 'बेगार' समझते हैं। इसलिए, खेत-खलिहान की मज़दूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुला कर? दूसरे मज़दूर खेत पहुंच कर एक-तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा-पगडंडी पर तौल-तौलकर पांव रखता हुआ, धीरे-धीरे। मुफ़्त में मज़दूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ़्तख़ोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था, जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े-बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी ख़ुशामद भी करते थे।

'...अरे, सिरचन भाई! अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाक़े में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो।'

'कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से-सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो।'

मुझे याद है...मेरी मां जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, 'भोग क्या-क्या लगेगा?'

मां हंस कर कहती, 'जा-जा, बेचारा मेरे काम में पूजा-भोग की बात नहीं उठाता कभी।'

ब्राह्मणटोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने, 'तुम्हारी भाभी नाख़ून से खांट कर तरकारी परोसती है। और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार-कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाई!'

इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं मां को पूछ लेता...।

सिरचन को देखते ही मां हुलस कर कहती, 'आओ सिरचन! आज नेनू मथ रही थी, तो तुम्हारी याद आई। घी की डाड़ी (खखोरन) के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न...और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद

रूठी हुई है, मोथी के शीतलपाटी के लिए।'

सिरचन अपनी पनियायी जीभ को संभाल कर हंसता, 'घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूं, काकी! नहीं तो इस शादी-ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहां मिलती है?'

सिरचन जाति का कारीगर है।

मैंने घंटों बैठ कर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक-एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जातां से उसकी कुच्ची बनाता। फिर, कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त...काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेंहुअन सांप की तरह फुफकार उठता, 'फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहज़ोर है, कामचोर नहीं।' बिना मज़दूरी के पेट-भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले, तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता।

सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं...तली-बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ; दुम हिलाता हुआ हाज़िर हो जाएगा। खाने-पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म! काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, 'आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा-सा रह गया है, किसी दिन आ कर पूरा कर दूंगा... 'किसी दिन' माने कभी नहीं!

मोथी घास और पटेरे की रंगीन शीतलपाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी-चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े-बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी-टोपी तथा इसी तरह के बहुत-से काम हैं, जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग-बेकाम का काम, जिसकी मज़दूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट-भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना-धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा...।

कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी-'ठहरो! मैं मां से जा कर कहती हूं। इतनी बड़ी बात!'

'बड़ी बात ही है बिटिया! बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो-दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ़ खेसारी का सत्तू खिला कर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी!' सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था।

'बड़ी बात ही है बिटिया! बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो-दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ़ खेसारी का सत्तू खिला कर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी!' सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था।

उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को ख़त लिखकर चेतावनी दे दी है, 'मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फ़ैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतलपाटियों के बिना आएगी मानू तो...' भाभी ने हंस कर कहा, 'बैरंग वापस!' इसलिए, एक सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुला कर काम पर तैनात करवा दिया था मां ने, 'देख सिरचन! इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं।'

पान-जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डाल कर वह चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फ़ैशन की चीज़ बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी।

मंझली भाभी से नहीं रहा गया, परदे के आड़ से बोली, 'पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को ख़बर भेज देती।'

काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, 'मोहर छापवाली धोती के साथ रेशमी कुरता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफ़सर आदमी है।'

मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसा कर कहा, 'किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया-लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को

मिलेगी। देखती है न।'

दूसरे दिन चिक की पहली पांति में सात तारे जगमगा उठे, सात रंग के। सतभैया तारा! सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ ज़रा बाहर निकल आती है, होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने-पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डाल कर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली-चिउरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़ कर मां के पास गया। 'मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ़ चिउरा और गुड़?'

मां रसोईघर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली,'मैं अकेली कहां-कहां क्या-क्या देखूं! अरी मंझली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती?'

'बुंदिया मैं नहीं खाता, काकी!' सिरचन के मुंह में चिउरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। मां की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौंहें तन गईं। मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई।

सिरचन ने पानी पी कर कहा, 'मंझली बहूरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?'

बस, मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जा कर लगाया, 'छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही...किसी के नैहर-ससुराल की बात क्यों करेगा वह?'

मंझली भाभी मां की दुलारी बहू है। मां तमक कर बाहर आई, 'सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मुझ



से कहो।'

सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा।

मानू पान सजा कर बाहर बैठकख़ाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर-उधर देख कर कहा, 'सिरचन दादा, काम-काज का घर! पांच तरह के लोग पांच क़िस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो।'

सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, 'छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकौआ ज़र्दा तो खिलाना। बहुत दिन हुए...।'

चाची कई कारणों से जली-भुनी रहती थी, सिरचन से। ग़ुस्सा उतारने का ऐसा मौक़ा फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, 'मसखरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? ...चटोर कहीं के!' मेरा कलेजा धड़क उठा...यत्परो नास्ति!

बस, सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो, कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में

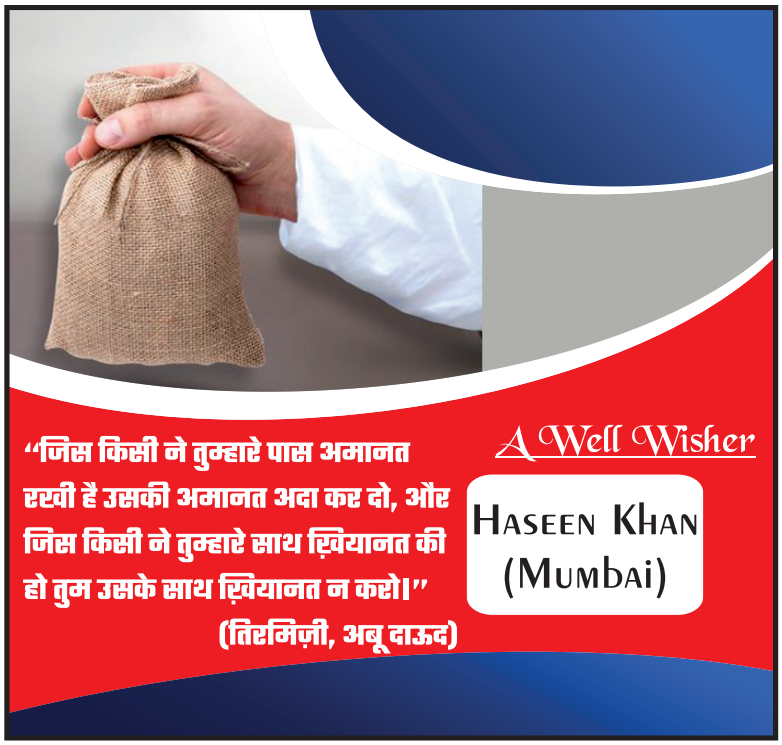

घुलाता रहा। फिर, अचानक उठ कर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां वग़ैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया।

चाची बड़बड़ाई, 'अरे बाप रे बाप! इतनी तेज़ी! कोई मुफ़्त में तो काम नहीं करता। आठ रुपए में मोहरछाप वाली धोती आती है। इस मुंहझौंसे के मुंह में लगाम है, न आंख में शील। पैसा ख़र्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर ले कर गली-गली मारी फिरती हैं।'

मानू कुछ नहीं बोली। चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातो तारे मंद पड़ गए।

मां बोली, 'जाने दे बेटी! जी छोटा मत कर, मानू। मेले से ख़रीद कर भेज दूंगी।'



मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतलपाटी दी थी मां ने। ससुरालवालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठ कर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई।

मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतलपाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है।

मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी! अब नहीं। कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी ख़ुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआजी, मेरी घरवाली ज़िंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतलपाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतलपाटी को छू कर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांवभर में तुम्हारी हवेली में मेरी क़दर होती थी। अब क्या?' मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है। वह अब नहीं आ सकता।

बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी,'यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू?'

मानू कुछ नहीं बोली। बेचारी! किंतु, मैं चुप नहीं रह सका,'चाची और मंझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी।'

मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था।

स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन-ही-मन सिरचन पर ग़ुस्सा हो आया। चाची के सुर-में-सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर...!

गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफ़ॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी, 'बबुआजी!' उसने दरवाज़े के पास आ कर पुकारा।

'क्या है?' मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा, 'दौड़ता आया हूं...दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहां हैं? एक बार देखूं!'

मैंने दरवाज़ा खोल दिया।

'सिरचन दादा!' मानू इतना ही बोल सकी।

खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, 'यह मेरी ओर से है। सब चीज़ है दीदी! शीतलपाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी, कुश की।'

गाड़ी चल पड़ी।

मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर, दोनों हाथ जोड़ दिए।

मानू फूट-फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा-ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीक़ी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, पहली बार देख रहा था।

■■

डेयरी उद्योग में बढ़ रही है पेशेवरों की मांग



करियर

संपादन प्रभाग

डेयरी इंडस्ट्री का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक संगठित होता जा रहा है। डेयरी उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग के चलते इस क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं।

दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप डेयरी इंडस्ट्री का स्वरूप पहले की तुलना में ऑर्गेनाइज़्ड होता जा रहा है। कई कंपनियां दूध प्रोसेसिंग करके दही, मक्खन, खोया, पनीर चीज़, छाछ, लस्सी, क्रीम आइसक्रीम, मिल्क पाउडर इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर वैल्यू ऐडेड मिल्क प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं। हाल के वर्षों में देश में दूध एवं दुग्ध पदार्थ का उत्पादन गेहूं और चावल से अधिक हो रहा है। वहीं मज़बूत को-आपरेटिव सिस्टम की बदौलत डेयरी सेक्टर में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इस सेक्टर में रोज़गार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

आवश्यक दक्षता

डेयरी सेक्टर पशुपालन और कृषि से जुड़ा क्षेत्र है। वर्तमान समय में डेयरी सेक्टर का संचालन पेशेवर और व्यावसायिक ढंग से हो रहा है, जिसमें परंपरागत विधा के साथ-साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

आमदनी

डेयरी साइंस में डिग्रीधारी युवा डेरी प्रोडक्ट स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग तथा लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र में जॉब करके आरंभिक समय में 25 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बीटेक डिग्रीधारी युवाओं को 40 से 50 हज़ार रुपये की नौकरी आसानी से मिल जाती है। रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में 70 से 80 हज़ार की नौकरी विश्वविद्यालयों एवं रिसर्च संस्थानों में मिल जाती है। अनुभव के साथ वेतन एवं अन्य भत्ते भी बढ़ते जाते हैं। डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। सरकारी सहयोग से स्वयं का उद्यम स्थापित कर 50 हज़ार से लेकर एक लाख रुपये प्रतिमाह बड़ी आसानी

से कमाया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर दूध और दुग्ध उत्पाद की बढ़ती डिमांड के कारण डेयरी उद्योग तेज़ी से विकसित और ऑर्गनाइज़्ड हो रहा है। इसलिए निकट भविष्य में डेयरी सेक्टर में करियर की असीम संभावनाएं हैं।

प्रवेश एवं पाठ्यक्रम

प्रत्येक वर्ष आईसीएआर द्वारा डेरी टेक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश हेतु एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराई जाती है, जिसमें मेरिट के आधार पर डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा डेरी साइंस में डिप्लोमा, बैचलर एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स संचालित किए जाते हैं। बैचलर कोर्स के उपरांत पशु रसायन, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी दुग्ध रसायन, एनिमल पैथोलॉजी, एनिमल मैनेजमेंट इत्यादि में मास्टर्स और पीएचडी कोर्स कराए जाते हैं।

रोज़गार के अवसर

दिन-प्रतिदिन डेयरी उत्पादों की बढ़ती डिमांड के कारण डेयरी सेक्टर में रोज़गार की असीम संभावनाएं हैं। पब्लिक सेक्टर के अतिरिक्त डेयरी फर्म्स, मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डेयरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, फूड इंडस्ट्री, को-ऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि में साइंटिस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी/इंजीनियर्स, डेयरी मैनेजर, डेयरी कंसल्टेंट, क्वालिटी कंट्रोलर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन इत्यादि विभिन्न प्रकार के अवसर मौजूद हैं। विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रिसर्चर और आरएंडडी इंस्टीट्यूट में कार्य करने के बेहतरीन करियर विकल्प उपलब्ध हैं। स्वरोज़गार के इच्छुक युवा स्वयं का मिल्क प्लांट, आइसक्रीम यूनिट, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, क्रीमरी मिल्क कलेक्शन सेंटर इत्यादि खोलकर व्यवसाय कर सकते हैं।

दूध बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी के लिए संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप डेयरी इंडस्ट्री का स्वरूप पहले की तुलना में ऑर्गेनाइज़्ड होता जा रहा है। कई कंपनियां दूध प्रोसेसिंग करके दही, मक्खन, खोया, पनीर चीज़, छाछ, लस्सी, क्रीम आइसक्रीम, मिल्क पाउडर इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर वैल्यू ऐडेड मिल्क प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा
- चंद्र शेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर
- आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद
- इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, प्रयागराज
- राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर। ■■



सत्य का कोई विकल्प नहीं



आख़िरी पन्ना



मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां

जीवन की वास्तविकता क्या है? सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं चाहता। उसकी दृष्टि मात्र सांसारिक जीवन पर रहती है। वह सोचता है कि यहां इज़्ज़त और आराम के साथ अपनी आयु पूरी कर लो। इसके बाद न तुम होगे और न तुम्हारी कोई समस्या। दूसरे प्रकार के लोग वह हैं, जो इस प्रश्न के सम्बंध में विचार करते हैं, किन्तु इनके विचार, दर्शन पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के लोगों के सारे प्रयास वर्तमान संसार की सैद्धान्तिक व्याख्या प्राप्त करना होता है। परन्तु इस प्रकार की दार्शनिक विचार धाराएं संख्या में अधिक और भिन्न होने के उपरान्त भी मात्र विचारधाराएं ही होती हैं। वे व्यक्ति के लिए कोई व्यक्तिगत समस्या उत्पन्न नहीं करतीं। एक विश्वात्मा है, जो अपनी समग्रता दर्शाने के लिए पूरी सृष्टि को चला रही है या ये समस्त वस्तुएं किसी सर्वोत्तम अस्तित्व के अंश हैं।

इस प्रकार के सैद्धांतिक तर्क-वितर्क से एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सम्बंध क्या है? तीसरे प्रकार के लोग वह हैं जिनके पास इस प्रश्न का कोई न कोई धार्मिक उत्तर मौजूद है, परन्तु इसमें भी व्यक्ति के लिये कोई गम्भीर पक्ष नहीं है। इनमें से किसी के समक्ष ईश्वर का बेटा समस्त मानवजाति के लिये मुक्तिदाता बन चुका है तथा किसी के समीप जीवन हमारी चेतना से परे एक जबरी चक्र है और व्यक्ति एक जबरी व्यवस्था के अन्तर्गत बार-बार जन्म लेता है और बार-बार मरता है। कोई कहता है कि व्यक्ति के जो कुछ पुरस्कार तथा दंड हैं, वह मात्र इसी सांसारिक जीवन में हैं आदि।

जीवन की समस्याओं से सम्बन्धित इस प्रकार के जितने भी उत्तर हैं, वे

आपस में एक-दूसरे से भिन्न हैं, परन्तु इस दृष्टि से सब एक समान हैं कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्गित रूप से कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न करता हो। ये समस्त उत्तर या तो जो कुछ हो रहा है, उसकी मात्र व्याख्या है, या हमारे लिए मात्र एक प्रकार की आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने का साधन है। वे इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, जिसको किसी बड़े संकट का संकेत कहा जा सके, परन्तु इस्लाम के अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का उत्तर इन समस्त उत्तरों से पूर्णतः भिन्न है। दूसरे उत्तरों में से कोई एक उत्तर भी व्यक्ति के लिये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं बनता और न ही व्यक्ति के लिए कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न करता है, परन्तु अन्तिम ईशदूत का जवाब प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे भयानक मोड़ पर खड़ा कर देता है, जिसके बाद उसका अगला क़दम या तो विनाशता के भयानक गड्ढे में पड़ने वाला है, या सफलता की स्थाई दुनिया में। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आप (सल्ल.) के आदर्शों के प्रति अत्याधिक गम्भीर हो जाए। वह अन्धकार में चलने वाले उस यात्री से भी अधिक सावधान हो जाए, जिसकी टार्च अचानक उसको सावधान कर दे कि उसके सामने ठीक अगले क़दम पर एक विषैला सांप रेंग रहा है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का सन्देश मानवजाति के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है।

आपने बताया कि वर्तमान संसार के पश्चात एक और विशाल संसार आने वाला है, जिसका नाम परलोक (आख़िरत) है। वहां प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब लिया जाएगा और प्रत्येक का उसके कर्मानुसार स्थायी पुरस्कार या स्थायी दंड मिलेगा और वर्तमान संसार में जो वस्तुएं व्यक्ति का सहारा बनी हुई हैं, उनमें से कोई भी वस्तु वहां किसी की सहायता न कर सकेगी और न ही वहां क्रय-विक्रय होगा और न मित्रता काम आएगी और न किसी प्रकार की सिफ़ारिश चलेगी। मुहम्मद (सल्ल.) की यह चेतावनी आपके अस्तित्व को प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्गित प्रश्न बना देती है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक अत्यन्त कठिन परिणाम लिए खड़ा

"हमने तुम्हें सत्य के साथ भेजा है, शुभ-सूचना देनेवाला और सचेतकर्ता बनाकर। और जो भी समुदाय गुज़रा है उसमें अनिवार्यतः एक सचेतकर्ता हुआ है। यदि वे तुम्हें झुठलाते हैं तो जो उनसे पहले थे, वे भी झुठला चुके हैं। उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाण और ज़बूरें और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे।"

(कुरआन, 35:24-25)



हुआ है। वह या तो आपके उपदेशों का अनुकरण करके स्वर्ग में जाने की तैयारी करे या आपके उपदेशों को भुलाकर और स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करके नर्क में जाने का ख़तरा मोल ले।

यहां दो चीज़ें हैं, जो इस समस्या को अत्याधिक गम्भीर बना रही हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग भी जो इस सम्बंध में अपना दृष्टिकोण या विचार प्रस्तुत करते हैं, उनका प्रमाण अत्याधिक सन्देहास्पद है। वे लोग जो धन-संचय करने और मर जाने को सब कुछ समझते हैं। उनके पास अपने विचारों की पुष्टि के लिए कोई तर्क नहीं है। उनके चिन्तन का ढांचा तर्कहीन है, तथा मात्र तुच्छ भावनाओं पर स्थापित है। दार्शनिकों जैसी बात करने वाले लोगों के पास भी तर्क के नाम पर मात्र अनुमान है। उनको अपनी राय पर विश्वास है, और न ही वह कोई ऐसी अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके ऊपर दूसरा व्यक्ति विश्वास कर सके। इसके बाद वे लोग बचते है, जो ईशदूतों तथा धार्मिक ग्रन्थों के सन्दर्भ से बोल रहे हैं। ये सैद्धान्तिक तौर पर अपने पीछे एक विश्वसनीय आधार रखते हैं, परन्तु वे जिन धार्मिक ग्रन्थों और सन्देष्टाओं का सन्दर्भ देते हैं। उनका सम्बंध प्राचीनकाल से है। उन धार्मिक ग्रन्थों एवं सन्देष्टाओं के सम्बंध में आज हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

अतः सैद्धान्तिक तौर पर विश्वसनीय माध्यम से जुड़े होने के उपरान्त वे जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वे स्वयं ही विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अतीत की किसी सत्यता को परखने का मापदंड इतिहास है, और इन शिक्षाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। परन्तु इस्लाम के पैग़म्बर (सन्देष्टा) का मामला बिल्कुल भिन्न है। एक ओर यह कि किसी व्यक्ति के ईशदूत होने का जो भी मापदंड स्थापित किया जाए, उस पर आप (सल्ल.) पूर्णरूपेण पूरे उतरते हैं। आपके जीवन में वे सारे तत्व उच्चता के साथ विद्यमान हैं, जो एक ईशदूत में होने चाहिये। आप (सल्ल.) की पैग़म्बरी (ईशदूतत्व) एक ऐसी प्रमाणित घटना है, जिससे इन्कार किसी भी हाल में सम्भव नहीं है। दूसरा यह कि आप (सल्ल.)

दार्शनिकों जैसी बात करने वाले लोगों के पास भी तर्क के नाम पर मात्र अनुमान है। उनको अपनी राय पर विश्वास है, और न ही वह कोई ऐसी अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके ऊपर दूसरा व्यक्ति विश्वास कर सके। इसके बाद वे लोग बचते है, जो ईशदूतों तथा धार्मिक ग्रन्थों के सन्दर्भ से बोल रहे हैं। ये सैद्धान्तिक तौर पर अपने पीछे एक विश्वसनीय आधार रखते हैं।

का जीवन चरित्र एवं शिक्षाएं सुदृढ़ता के साथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं। जिनके ऐतिहासिक प्रमाण के सम्बंध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। आप (सल्ल.) पर अवतरित क़ुरआन आज भी उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में मौजूद है, जिन शब्दों में आपने दिया था।

आपके कथन एवं कार्य इस सुदृढ़ता के साथ हदीस (मुहम्मद सल्ल. के बहुमूल्य कथन) और सीरत (मुहम्मद सल्ल. का जीवन चरित्र) की पुस्तकों में मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे आज भी आप हमारे समक्ष बोल रहे हों, और चल फिर रहे हों। निस्सन्देह व्यक्ति आज भी मालूम कर सकता है कि आपने क्या कहा और क्या किया।

पैग़म्बर की चेतावनी के अनुसार हम एक ऐसी वास्तविकता के समक्ष हैं, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हम इनका सामना करने के लिए बाध्य हैं। मृत्यु अथवा आत्महत्या से भी हम नष्ट नहीं होते। बल्कि दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं। सफलता एवं असफलता का एक रेखाचित्र ईश्वर ने सदैव के लिए रेखांकित कर दिया है। किसी के लिए ये सम्भव नहीं है कि वह ईश्वरीय लेखांकन को लेशमात्र परिवर्तित कर दे या स्वयं को इससे पृथक कर ले। हमें मात्र यह अधिकार प्राप्त है कि स्वर्ग अथवा नर्क में से किसी एक को चुन लें, परन्तु हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि दोनों से अलग होकर अपने लिए किसी तीसरे विकल्प को जन्म दें।

भूकम्प विज्ञानियों द्वारा यदि भूकम्प की चेतावनी दी जाए तो यह एक ऐसी आने वाली दुर्घटना की ख़बर होती है। जिसमें निर्णय का अधिकार दूसरे लोगों को होता है। व्यक्ति या तो इससे भागकर स्वयं को बचाये या इसमें पड़कर अपने आपको नष्ट कर ले। इसी प्रकार प्रलय भी एक ऐसा भूकम्प है, जिसमें व्यक्ति या तो पैग़म्बर का अनुसरण एवं अनुपालन करके स्वयं को बचाए या उसकी शिक्षाओं को त्याग कर स्वयं को सदैव के लिए ख़त्म कर ले। ■■



Citymaker

BUILDERS PVT.LTD

55,Maruti Lane,Near Handloom House,
Fort,Mumbai-400 001,Ph.:22661438,22675328

KANTI Monthly, New Delhi
JANUARY 2023
Posted on 20-21 December 2022
Published on 18 December 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

कान्ति
मासिक

कैलेंडर 2023